वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की 69 वीं आपात बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2007 को अपरान्ह 3.00 बजे ई.एम.पी.सी. भवन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

अध्यक्ष

1. प्रो. नरेश दाधीच,
   कुलपति, व.म.खु.वि.वि., कोटा

सदस्य

2. प्रो. एस.सी. गर्ग,
   आचार्य,
   स्कुल ऑफ साइन्स,
   इन्दिरा गॉधी रा. मुक्त वि.वि., नई दिल्ली

सदस्य

3. डॉ. आर.वी. व्यास
   निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं
   व.म.खु.वि.वि., कोटा

सदस्य

4. प्रो. पी.के. शर्मा,
   आचार्य, प्रबन्ध,
   व.म.खु.वि.वि., कोटा

सदस्य

5. डॉ. (श्रीमती) सुषमा सिंघवी,
   निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र,
   क्षेत्रीय केन्द्र, व.म.खु.वि.वि., जयपुर

सचिव

6. श्री सॉवरमल वर्मा
   कुलसचिव,
   व.म.खु.वि.वि., कोटा

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल की 69 वीं आपात बैठक में उपस्थित नवनियुक्त सदस्य डॉ. (श्रीमती) सुषमा सिंघवी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर सहित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रबन्ध मण्डल की आपात बैठक दो बिन्दुओं पर बुलाये जाने का उल्लेख किया गया। उन्होंने बताया कि यह आपात बैठक विद्या परिषद् की 33 वीं आपत बैठक में पारित निर्णयों के अनुमोदन के लिए भी बुलाई गई है। इससे पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि 33 वीं विद्या परिषद् की आपात बैठक में लिये

गये निर्णय के सम्बन्ध में चतुर्थ दीक्षान्त समारोह को माह जनवरी / फरवरी, 2008 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रबन्ध मण्डल की इस बैठक में दो प्रस्ताव रखे गये :-

1. प्रस्ताव संख्या 1 में चतुर्थ दीक्षान्त समारोह का आयोजन करने तथा इसमें मुख्य अतिथि के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करने का प्रस्ताव था।
2. प्रस्ताव संख्या दो में शिक्षकों के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के स्पष्टीकरण का प्रस्ताव था।

प्रस्ताव संख्या 69/1पर चर्चा करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि विद्या परिषद की 33वीं आपात बैठक में विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षॉत समारोह माह जनवरी/फरवरी 2008 में अथवा मुख्य अतिथि द्वारा दी गई तिथि पर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किये जाने का अनुमोदन भी किया गया है। अन्य अतिथियों में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित किये जाने का भी निर्णय किय गय है।माननीय कुलपति महोदय ने यह भी अवगत करवाया कि दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स 22 के तहत मानद उपाधि दिये जाने के संबंध में विद्या परिषद की 30वीं बैठक के निर्णय संख्या 30/4-8 द्वारा प्रो0 वी0आर0मेहता को डी0लिट0की मानद उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया था। उक्त प्रस्ताव को ही विद्या परिषद की 33वीं आपात बैठक में पुनः पुष्टि कर दी गई है।इसी तरह चतुर्थ दीक्षांत समारोह में जून-2006 से जून-2007 तक संत्रात परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थीयों को डिप्लोमा/उपाधि दिये जाने व तृतीय दीक्षांत समारोह के पश्चात परीक्षा परिणाम वाले विद्यार्थियों को भी उपाधि दिये जाने के साथ साथ स्वर्ण पदक के संबंध में पूर्व में पारित निर्देशों/नियमों के तहत ही स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध में पारित निर्णय का अनुमोदन किया गया है।

प्रबंध मण्डल की बैठक में विद्या परिशद द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव पर गहनता से विचार विमर्श करने के बाद चतुर्थ दीक्षांत समारेह के संबंध में लिये गये निर्णयों का अनुमादन करते हुए यह भी निर्णय किया गया कि चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आंत्रित करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान सरकार से सहमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

डी.लिट. की मानद उपाधि प्रो0 वी0आर0 मेहता को दिये जाने के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय की पुनः पुष्टि की गई।

दूसरे प्रस्ताव में माननीय कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया कि उक्त बिन्दु को प्रबन्ध मण्डल में रखे जाने का कारण यह है कि शिक्षक संवर्गो में सीधी भर्ती किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए प्राप्त हुई है तथा उक्त स्वीकृति की अवधि 31 मार्च, 2008 तक है। शैक्षणिक योग्यताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये पत्र कमांक एफ-3(2)Edu/4/99 दिनांक 11-3-2002 में वर्णित गुड ऐकेडमिक रिकार्ड में पहले से कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद् की 33 वी आपात बैठक में एक स्पष्टीकरण पेश किया गया जिसका अनुमोदन विद्या परिषद् द्वारा कर दिये जाने के कारण उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल की बैठक में चर्चा की जा रही है। इस पर हुई विस्तृत चर्चा में हमारे विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा सम्बन्धी विशिष्टता, कई विषयों में योग्यता एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा आवेदन नहीं करने इत्यादि कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार / विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / मानद विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कॉलेजों में सेवारत शिक्षकों के लिए गुड ऐकेडमिक रिकार्ड की परिभाषा स्वीकार की जावेगी। चर्चा के पश्चात् गुड एकेडमिक रिकार्ड के अनुसार निम्नानुसार स्पष्टीकरण जोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया :-

"For Direct Recruitment of Assistant Professor/Associate Professor in Vardhaman Mahaveer Open University, Kota the Lecturer/Assistant Professor/Associate Professor already in service in State Government/Universities//Deemed Universities/Affiliated Colleges of the University, the norms of Good Academic Records shall be admissible prior than 67th Board of Management meeting Resolution".

प्रबन्ध मण्डल के उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि चूँकि शिक्षकों की भर्ती सम्बन्धी योग्यता का निर्णय कुलपति समन्वय समिति में कुलाधिपति की अध्यक्षता में लिया गया था इसलिए कुलाधिपति के अनुमोदन के लिए इसे भेजा जाये तथा प्रति प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार को भिजवाई जावें।

बैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल की 70 वीं बैठक दिनांक 15/11/2007 का कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की 70 वीं बैठक दिनांक 15/11/2007 ई.एम.पी.सी. भवन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा पर माननीय कुलपति महोदय प्रो0 नरेश दाधीच की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रो. नरेश दाधीच, कुलपति, व.म.खु.वि.वि., कोटा — अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार गर्ग, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर — सदस्य
3. प्रो0 अतुल शर्मा 80, डी.डी.ए., एस.एफ.एस. प्लेट्स सेक्टर 5– नई दिल्ली — सदस्य
4. प्रो. मालाश्री लाल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, साउथ केम्पस दिल्ली वि.वि. दिल्ली। — सदस्य
5. प्रो0 एस. सी. गर्ग, प्रोफेसर, इ.गॉ.रा.मु.वि., नई दिल्ली — सदस्य
6. प्रो0 पी.के. शर्मा प्रोफेसर–प्रबन्ध, व.म.खु.वि., कोटा — सदस्य
7. डॉ0 सुषमा सिंघवी निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, व.म.खु.वि., जयपुर — सदस्य
8. कुलसचिव व.म.खु.वि., कोटा — सचिव

प्रमुख शासन सचिव महोदय, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं डॉ0 आर.वी. व्यास, निदेशक क्षेत्रीय सेवाऐं, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की सहभागिता अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो सकी।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल में महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से मनोनीत सदस्य प्रो0 अतुल शर्मा एवं प्रो0 मालाश्री लाल का स्वागत करते हुए प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों से परिचय करवाया साथ ही महामहिम राज्यपाल की ओर से मनोनीत पूर्व सदस्य डॉ0 डी.सी. पंत एवं प्रो0 टी.यू. फुलझेले द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल में

A

विश्वविद्यालय को दिये गये योगदान की सराहना करते हुए दोनों सदस्यों का विश्वविद्यालय की ओर से साधुवाद किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय की ओर से प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार–विमर्श प्रारम्भ करने के संबंध में कुलसचिव को दिये गये निर्देशों के कम में एजेण्डा के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या 70/01

प्रबंध मंडल की 67वीं, 68वीं (आपात) एवं 69वीं (आपात) बैठक के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल के ऐजेण्डा में संलग्न की गई प्रबन्ध मण्डल की 67 वीं, 68वीं (आपात) एवं 69वीं (आपात) बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन कर 69 वीं आपात बैठक में Good Academic record के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जोड़े जाने के बारे में लिये गये निम्न प्रस्ताव कि – "For direct recruitment of Assistant Professor/Associate Professor in Vardhaman Mahaveer Open University, Kota the lecturer/Assistant Professor/Associate Professor already in service in State Government/Universities/Deemed Universities/affiliated Colleges of University, the norms of Good Academic Record shall be admissible prior then 67th Board of Management meeting resoluation." Prior then 67th Board के स्थान पर As Prior to 67th Board सम्बन्धी संशोधन के साथ शेष कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या: 70/2

प्रबंध मंडल की 67वीं, 68वीं (आपात) एवं 69वीं (आपात) बैठक में लिये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अनुपालना प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक की सूचना के साथ प्रेषित किये गये निर्णयों के सम्बन्ध में की गई अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर की गई कार्यवाही पर संतोष जताते हुए अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या: 70/03

डा0 टी0यु0 फूलझेले एवं डा0 डी0सी0 पंत की प्रबंध मंडल की सदस्यता अवधि पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर आयोजना मंडल एवं वित्त समिति में प्रबंध मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य को मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 8.4 के तहत वित्त समिति में प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में प्रो. अतुल शर्मा को सदस्य मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में जारी किये गये कार्यालय आदेश कमांक 1306 दिनांक 29–10–2007 का अवलोकन कर अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9.1 के तहत प्रबन्ध मण्डल की ओर से योजना मण्डल में सदस्य को मनोनयन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्याः 70/04

श्री मान प्रकाश शर्मा, कार्यालय सहायक को दी गई शास्ति पर पुनर्विचार के कम में प्रबंध मंडल की 67 वीं बैठक के निर्णय संख्या 67/09–5 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय के निर्णय के कम में जारी आदेश कमॉक 1148 दि0 25/06/07 अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

श्री मान प्रकाश शर्मा, कार्यालय सहायक को दी गई शास्ति पर पुनर्विचार के कम में प्रबंध मंडल की 67 वीं बैठक के निर्णय संख्या 67/09–5 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णय के कम में जारी कार्यालय आदेश कमॉक 1148 दिनांक 25/06/07 का अवलोकन कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त निर्णय नोट किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/05

बी0एड0 पाठ्यकम की जुलाई–93 की परीक्षा के अंकों की पुनर्गणना में हुई हेराफेरी के कम में प्रबंध मंडल की 34 वीं बैठक के निर्णय के कम में अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्ताव।

बी0एड0 पाठ्यकम की जुलाई–93 की परीक्षा के अंकों की पुनर्गणना में हुई हेराफेरी के कम में प्रबंध मंडल की 34 वीं बैठक के कम में अन्य कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा नियन्त्रक से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव को आगामी बैठक के लिए स्थगित किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/06

प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत सहायक लेखाधिकारी के पदों पर लेखाकारों को पदोन्नत किये जाने के कारण महालेखाकार जांच दल द्वारा लगाये गये आक्षेप के कम में प्रकरण निर्णयार्थ।

प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत सहायक लेखाधिकारी के पदों पर लेखाकारों को पदोन्नत किये जाने के कारण महालेखाकार जांच दल द्वारा लगाये गये आक्षेप के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदय ने उक्त प्रस्ताव को स्थगित किये जाने हेतु कहा जिस पर उक्त प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/07

श्रीमति नीलम सिंह स्टेनोग्राफर को शास्ति के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबंध मंडल की 67 वीं बैठक में उक्त संदर्भ में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया थाः–67/06 श्रीमती नीलम सिंह स्टेनाग्राफर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत शास्ति का प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा गहनता से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय किया गया कि कार्यालय में स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने के कारणों की जानकारी की जावे तत्श्चात् स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने के कारणों के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु आगामी बैठक में रखा जावे।

बिन्दु संख्याः 70/08

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों, बागवान एवं कुक आदि को दिये गये धुलाई भत्ते एवं वर्दी भत्ते के कम में जारी आदेश अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों,बागवान एवं कुक आदि को दिये गये धुलाई भत्ते एवं वर्दी भत्ते के कम में माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार जारी आदेश कमॉक 687 एवं 688 दिनांक 18–9–2007 का अवलोकन कर प्रबन्ध मण्डल ने जारी किये गये आदेशों अनुमोदन किया।

बिन्दु संख्या 70/09

आचार्य, इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड कल्चर के पद को आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन में परिवर्तित करने के संबंध में जारी आदेश अनुमोदनार्थ।

आचार्य, इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड कल्चर के पद को आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन में परिवर्तित करने संबंधी माननीय कुलपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णय के कम में जारी आदेश कमांक 1343 दिनांक 11/07/07 के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन के पद का विज्ञापन जारी किया गया था जिसके कम में 05 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्रों की संवीक्षा किये जाने के बाद चयन समिति की बैठक दिनांक 14/11/2007 में उक्त पद के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाये गये तीन अभ्यर्थियों में एक अभ्यर्थी को आचार्य के स्थान पर सह–आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन विषय में नियुक्त करने की चयन समिति द्वारा अभिशंषा की गई है। माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि सामान्य स्थिति में चयन समिति जिस पद के चयन के लिए गठित की गई है उसी पर अपनी अभिशंषा देती है लेकिन गॉधी एवं शान्ति अध्ययन का नया विषय होने के कारण चयन समिति ने सर्वसम्मति से एक अभ्यर्थी को सह–आचार्य पद पर नियुक्त करने की अभिशंषा की। इसके अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये 8 पदों में से सह आचार्य, मास कम्यूनिकेशन के एक पद को सह आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन के विषय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया जिस पर प्रमुख शासन सचिव महोदय, उच्च शिक्षा ने अवगत कराया कि चूँकि राज्य सरकार से विषयवार स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी की गई है अतः विषय परिवर्तन किये जाने संबंधी आदेश को राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लागू किया जाना उचित होगा। इस पर यह निर्णय लिया गया कि विषय परिवर्तन संबंधी आदेश जारी कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवा दिये जावें। चूँकि सह आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन के पद को विज्ञापित नहीं किया गया था, ऐसे में बिना विज्ञापन इस पद पर नियुक्ति की जा सकती है या नहीं, इस पर भी सरकार से मार्गदर्शन लिये जाने का फैसला किया गया।

प्रमुख शासन सचिव ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य, इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड कल्चर के पद को आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन में परिवर्तित किये जाने का जो आदेश जारी किया गया है इसके संबंध में भी वित्त विभाग की सहमति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आचार्य, इण्डियन ट्रेडिशन एण्ड कल्चर के पद को आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन में परिवर्तित किये जाने संबंधी आदेश एवं सह आचार्य, मास कम्यूनिकेशन के पद को सह आचार्य, गॉधी एवं शान्ति अध्ययन के विषय में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जावें। तथा राज्य सरकार से स्वीकृति/निर्देश प्राप्त होने तक चयन समिति की अभिशंषा पर निर्णय स्थगित रखा जावें।

बिन्दु संख्याः 70/10

वर्ष 2007–08 की आयोजना भिन्न की बी0 एफ0 सी0 में काटे गये पदों (उपकुलसचिव 01, सहायक कुलसचिव01, अनुभागाधिकारी 02 कनि0लिपिक 03) को समाप्त किये जाने बाबत् जारी कार्यालय आदेश कमॉक 1335 दि0 10.07.07 एवंइसके बाद राज्य सरकार के पत्र कमॉक एफ.8(8)शि–4/2006 दि0 14.09.07 के माध्यम से उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के एक एक पद पुनः बहाल किये जाने के कम में जारी आदेश कमॉक 2612 दि0 10.10.07 संलग्न परिशिष्ट पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

वर्ष 2007–08 की आयोजना भिन्न की बी0 एफ0 सी0 में काटे गये पदों (उपकुलसचिव 01, सहायक कुलसचिव01, अनुभागाधिकारी 02 कनि0लिपिक 03) को समाप्त किये जाने बाबत् जारी कार्यालय आदेश कमॉक 1335 दि0 10.07.07 एवं इसके बाद राज्य सरकार के पत्र कमॉक एफ.8(8)शि–4/2006 दि0 14.09.07 के माध्यम से उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के एक एक पद पुनः बहाल किये जाने के कम में जारी आदेश कमॉक 2612 दि0 10.10.07 के कम में राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त आदेशों के कम में उक्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/11

विश्वविद्यालय के पैनल एडवोकेट्स में तीन नये एडवोकेट्स के नाम जोड़े जाने के माननीय कुलपति महोदय के निर्णय के कम में जारी आदेश अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय के पैनल एडवोकेट में नवीन एडवोकेट्स के नाम जोड़े जाने के कम में माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से श्री मनोज कुमार शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर सुश्री आशिष जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर श्रीमति सरिता त्यागी, स्थानीय न्यायालय, कोटा को पैरवी हेतु नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/12

विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनॉक 09 जुलाई 2007 (33वीं आपात बैठक दिनॉक 20/09/07 के कार्यवाही विवरण को प्रबंध मंडल की 69वीं आपात बैठक दिनॉक 20 सितंबर 2007 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।) एवं वित्त समिति तथा आयोजना मंडल की आगामी प्रस्तावित बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनॉक 09 जुलाई 2007 (33वीं आपात बैठक दिनॉक 20.09.07 के कार्यवाही विवरण को प्रबंध मंडल की 69वीं आपात बैठक दिनॉक 20 सितंबर 2007 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।) एवं 37 वी वित्त समिति दिनांक 13–11–2007 आयोजना मंडल की 9 वीं बैठक दिनांक 13–11–2007 जो क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आयोजित की गई थी के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/13

विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेखित विद्या पीठ व्यवस्था को एक वर्ष के लिए स्थगित कर निदेशक संकाय व्यवस्था कायम करने के प्रबंध मंडल की 66 वीं बैठक दिनॉक 8.12.06 के निर्णय के कम में पुनः विचार विमर्श।

विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लेखित विद्या पीठ व्यवस्था को एक वर्ष के लिए स्थगित कर निदेशक संकाय व्यवस्था कायम करने के प्रबंध मंडल की 66 वीं बैठक दिनॉक 8.12.06 निर्णय के कम में जारी कार्यालय आदेश कमॉक 3694 दिनॉक 14.12.06 के कम में विद्यापीठ सम्बन्धी व्यवस्था को पुनः एक वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/14

अन्य बिंदु आसन की अनुमति से।

बिन्दु संख्याः 70/14(1)

निदेशक क्षेत्रीय सेवाऐं कार्यालय में संयुक्त निदेशक / उप निदेशक (निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के समकक्ष) का पद सृजन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया कि निदेशक क्षेत्रीय सेवाऐ कार्यालय से प्राप्त निदेशक / उप निदेशक / संयुक्त निदेशक के पद का सृजन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव डॉ. आर.वी. व्यास, निदेशक क्षेत्रीय सेवायें विश्वविद्यालय से दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 को सेवानिवृत हो रहे है। तथा डॉ. आर.वी. व्यास, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाये ने क्षेत्रीय विभाग के कार्य के व्यवस्थित संचालन हेतु एक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के समकक्ष) के पद का सृजन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। चूँकि डॉ. व्यास की सेवा निवृति के बाद क्षेत्रीय सेवाऐ कार्यालय में क्षेत्रीय केन्द्रों के पर्यवेक्षक हेतु अधिकारी की उपलब्धता नहीं रहेगी तथा क्षेत्रीय सेवाये विभाग के कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो जाने के कारण संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के समकक्ष) के पद का सृजन आवश्यक हो गया है अतः क्षेत्रीय सेवाये विभाग में संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के समकक्ष) के पद के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

उक्त प्रस्ताव पर गहनता से विचार कर प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा इस सम्बन्ध में पद सृजन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्याः 70/14.(2)

निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र की योग्यताऐं अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ ।

माननीय कुलपति महोदय ने निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र की योग्यताओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कियेः–

प्रबन्ध मण्डल की 7 वीं बैठक दिनांक 14–10–88 के मद संख्या 21 द्वारा निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र पर नियुक्ति के लिए निम्नानुसार योग्यताओं के निर्धारण का निर्णय पारित किया गया था :–

"Resolved that the qualifications approved for the post of Associate Professor by the UGC be approved and atleast 3 years administrative or managerial experience in educational institutions be made desirable in addition to the qualification prescribed for Associate Professor."

एसोसिएट प्रोफेसर की योग्यताओं में उल्लेखित "Good Academic Record" को उच्च शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर के पत्र कमॉकः 11/3/2002 के द्वारा माध्यमिक से स्नातक तक की परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी में 55 प्रतिशत अंकों सहित परिभाषित किया है। प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 24 अप्रेल, 2007 में विश्वविद्यालय शिक्षकों की योग्यताएं अनुमोदित की गई है।

माननीय कुलपति महोदय ने "Good Academic Record" के सम्बन्ध में पूर्व निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित किये गये स्पष्टीकरण को अपनाते हुए निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र की पद की योग्यताऐं विज्ञानित संख्या 4/2007 दिनांक 24–10–2007 के द्वारा निम्नानुसार विज्ञापित की है :–

Essential Qualification

Good academic record with a doctoral degree or equivalent published work. Candidates from outside the university system, in addition shall also possess at least 55% of the marks or an equivalent grade at the Master's level.

Eight years of experience of teaching and/or research including upto three years for research degrees and has made some mark in the areas of scholarship as evidenced by quality of publication, contribution to educational innovation design of new courses and curricula.

Desirable Qualification

Atleast three years Administrative or Managerial experience in Educational Institutions.

EXPLANATIONS:

For determining 'Good Academic Record' the following criteria shall be adopted:-

1- A candidate holding Ph.D. Degree and shall possess atleast second class Master's degree;

OR

2- A candidate without Ph.D. Degree should possess high second class Master's degree and second class in the Bachelor degree;

OR

3- A candidate not possessing Ph.D. degree but possessing second class Master's degree should have obtained first class in the Bachelor;s degree.

Persons having secured marks more than the Mid-point the prescribed minimum marks of passing an examination in the second division and the prescribed minimum marks for passing an examination in the first division by a university shall be deemed to have passed that examination in the high second class.

उक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये विज्ञापन संख्या 4/07 दिनांक 24–10–2007 में वर्णित निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र की योग्यताओं का अनुमोदन किया।

बैठक आसन को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

कुलसचिव
एवं सचिव,प्रबंध मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

71st Meeting of B.O.M.

परिशिष्ट – 2

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की विशेष बैठक दिनांक 14 मई 2008 को प्रातः 11.30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1.	प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0सी0गर्ग स्कुल आफ सांइस इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0 नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रो0 पी0के0शर्मा आचार्य, ~~एवं निदेशक संकाय~~ वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
4.	प्रो0 अनाम जेटली आचार्य,वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
5.	डा0 श्रीमती सुषमा सिंघवी निदेशक, क्षे0के0वमखुविवि,जयपुर।	सदस्य
6	श्री कुलदीप सिंघल कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सचिव

प्रमुख शासन सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, प्रो0 अतुल शर्मा एवं प्रो0 श्रीमति मालाश्री लाल की बैठक में सहभागिता संभव नहीं हो सकी, आवश्यक गणापूर्ति के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक प्रारंभ करते हुए प्रबंध मंडल के सदस्यों को बताया कि विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह कल दिनांक 15 मई 2008 को मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय उक्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे है तथा राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे एवं विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो0 वी0आर0 मेहता को डी. लिट. की मानद उपाधि भी प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा समारोह की समस्त तैयारिया लगभग पूर्ण कर ली गई है। माननीय कुलपति महोदय की उक्त जानकारी के बाद बैठक हेतु प्रस्तुत एक मात्र प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किया गया :–

71/01 विद्या परिषद की 34वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

बैठक के दौरान प्रस्तुत किये गये विद्या परिषद की 34 वीं बैठक दिनांक 22 अप्रेल 2008 के कार्यवाही विवरण एवं उसके साथ संलग्न दीक्षा कार्यक्रम का अवलोकन कर विद्या परिषद की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण व दीक्षा कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात् जयपुर में आतंकवादियों द्वारा कल दिनांक 13 मई 2008 को किये गये बम ब्लास्ट में मृतको को श्रृधाजली अर्पित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University
KOTA

कुलसचिव
एवं सचिव
प्रबंध मंडल

संशोधित

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

प्रबंध मंडल की 72 वीं बैठक दिनांक 14 जून 2008 का कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की 72वीं बैठक आज दिनांक 14.06.08 को क्षेत्रीय केन्द्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जयपुर पर आयोजित की गई,बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः—

1.	प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार गर्ग प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग,राज0सरकार जयपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 एस0सी0गर्ग स्कूल आफ साइंस इंदिरा गांधी रा0मुक्त वि0वि0 नई दिल्लीं।	सदस्य
4.	प्रो0 पी0के0शर्मा आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5.	डा0 श्रीमति सुषमा सिंघवी निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र वर्धमान महावीर खुला वि0वि0,जपुर।	सदस्य
6.	श्री0के0के0सिंघल कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला वि0वि0,कोटा।	सचिव

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, प्रो0 अतुल शर्मा एवं प्रो0 मालाश्री लाल की बैठक में सहभागिता संभव नहीं हो सकी। आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात् बैठक प्रारंभ करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए सदस्यगणों को चतुर्थ दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन की जानकारी दी तथा समस्त सदस्यों को दीक्षांत

समारोह के सफल आयोजन में सहयोग करने के लिये धन्यवाद प्रदान करने के बाद कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ कर निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

72/01 प्रबंध मंडल की 70वीं एवं 71वीं बैठक(विशेष) के कार्यवाही विवरण एवं 70वीं बैठक के संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न दोनों कार्यवाही विवरणों एवं अवलोकन करने के बाद 70 वीं बैठक के निर्णय संख्या 70/09 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति एवं उसके निस्तारण की जानकारी से प्रबंध मंडल को अवगत करवाने के बाद प्रबंध मंडल ने निर्णय किया कि आचार्य गांधी एवं शांति अध्ययन के पद हेतु आयोजित चयन समिति की अनुशंसा के क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की जावे। तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सह आचार्य , राजनीति विज्ञान के पद के लिये विज्ञापन जारी किया जावे जिसमें राजनीति विज्ञान के सह आचार्य पद हेतु निर्धारित योग्यता के साथ साथ गांधीयन स्टेडी में विशेषज्ञ अध्ययन को भी योग्यता में सम्मिलित किया जावे तथा आचार्य पद गांधी एवं शांति विषय में न करके माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया कि वे विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अन्य किसी विषय में इस पद को विज्ञाप्ति करें।
उपरोक्त निर्णय के साथ कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न 70वीं एवं 71वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं 70वीं बैठक के कार्यसूची विवरण का अनुमोदन किया गया।

72/02 दिनांक 13.06.07 को आयोजित वित्त समिति की 38 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण, आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव एवं पिछले वित्तिय वर्ष की बैलेंस शीट्स आदि का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की बैठक के दौरान प्रस्तुत किये गये वित्त समिति की 38 वीं बैठक दिनांक 13 जून 2008 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वर्ष 2008–09 के बजट प्रस्ताव एवं वर्ष 2007–08 के संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2006–07 की सी0 ए0 आडिट रिपोर्ट (बैलेंस शीट्स) व बैलेंस शीट्स के अनुपालना प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया गया।

72/03 प्रो0 अनाम जेटली को योजना एवं विकास विभाग के निदेशक पद पर नियुक्ति के आदेश अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

कार्यालय आदेश क्रमांक 2259 दि0 11.06.08 के तहत प्रो0 जेटली की नियुक्ति रद्द करने के कारण प्रस्ताव को प्रबंध मंडल में रखा नहीं जाना माना गया।

72/04 निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के पद हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिये पैनल अनुमोदनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अशैक्षणिक पदों के चयन के लिये गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञ सदस्य के मनोनयन हेतु विशेषज्ञों का पैनल पटल पर प्रस्तुत कर सदस्यों से अवलोकन करने हेतु अनुरोध किया गया, इस क्रम में

बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का यह मत रहा कि गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए पैनल का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया जाना उचित नहीं है इसलिये माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत पैनल को बिना अवलोकन किये अनुमोदित किया गया तथा अनुमोदित पैनल का लिफाफा माननीय कुलपति महोदय के पास ही सुरक्षित रखवाया गया।

72/05 बी0एफ0सी0 आयोजना भिन्न (नोन प्लान) वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में समाप्त किये गये पदों के सम्बन्ध में जारी आदेश अवलोकनार्थ।

राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षो में बी0एफ0सी आयोजना भिन्न (नोन प्लान)में समाप्त घोषित किये गये पदों के सम्बन्ध में जारी विभिन्न पत्रों एवं इस क्रम में प्रस्तुत दोनों प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर समाप्त किये गये पदों के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए पद समाप्ति के औपचारिक आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई ।

72/06 विश्वविद्यालय में एस्टेट सैल के गठन का प्रस्ताव।

एस्टेट सैल के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह निर्णय किया गया कि प्रस्ताव में उल्लेखित पदों के सृजन के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के आदेश के क्रम में कनिष्ठ .अभियंता के पद को अपग्रेड करवाने के लिये भी राज्य सरकार के साथ साथ आगामी बी0एफ0सी0 में भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें।

72/07 विश्वविद्यालय के क्षे0के0उदयपुर के भवन के रिनोवेशन कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव निर्णयार्थ।

क्षे0के0उदयपुर के भवन रिनोवेशन के कार्य के प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा भवन के स्वामित्व स्पष्टतः विश्वविद्यालय के पक्ष में नहीं होने के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल को अवगत करवाया गया इसके उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि 43.56 लाख रूपये के प्रस्तावित कार्य करवा लिये जावें।

72/08 सहायक लेखाधिकारी के पदों के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव निर्णयार्थ।

कार्यसूची विवरण में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के साथ संलग्न राज्य सरकार के दिनांक 06.06.07 के पत्र की ओर कुलसचिव द्वारा प्रबंध मंडल का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि उक्त पत्र में राज्य सरकार द्वारा गलत पदौन्नति के लिये सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के साथ साथ सहायक लेखाधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिये प्रस्ताव मांगे गये है इसके उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा कार्यसूची विवरण में प्रस्तावित बिंदुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1. राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के क्रम में पुनः राज्य सरकार को पुर्नविचार करने का अनुरोध करते हुए उक्त पदों पर की गई पदौन्नति की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने के लिये पत्र प्रेषित किया जावे।

2. लेखा संवर्ग के कार्मिकों की पदौन्नति लेखा संवर्ग के पदौन्नति के पद स्वीकृत होने पर तथा मंत्रालयिक संवर्ग की पदौन्नति नियमानुसार की जावे ।
3. स्टेनो ग्रेड प्रथम (पी.ए.)का पद फिलहाल विश्वविद्यालय में स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।
4. उपरोक्त निर्णयों के कारण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई।

72/09 जुलाई–93 में आयोजित बी0एड0परीक्षा के अंको की पुर्नगणना में हुई अनियमितता के क्रम में पूर्व बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव एवं इस सम्बन्ध में दो कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अवलोकन एवं निर्णयार्थ।

प्रस्ताव का अवलोकन करने के बाद विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि प्रबंध मंडल की 34वीं बैठक के निर्णय के जिन बिंदुओं पर कार्यवाही की जानी शेष है उन समस्त बिंदुओ के सम्बन्ध में निर्णय करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

72/10 अवैतनिक अवकाश पर गये कार्मिकों की असाधरण अवकाश अवधि की गणना वेतन वृद्वि हेतु किये जाने बाबत् प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न परिशिष्टों का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो कार्मिक राजस्थान में स्थित सरकारी विश्वविद्यालयों /राज्य सरकार के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर असाधरण अवकाश स्वीकृत करवा कर गये थे उन्हें पुनः वि0वि0 में लौटने के बाद, उनके असाधरण अवकाश की अवधि को वेतन वृद्वि के प्रायोजनार्थ गणना में शामिल कर लिया जावे, किंतु उक्त कार्यवाही से पूर्व आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त असाधरण अवकाश अवधि के पेंशन अंशदान एवं अन्य अंशदान (यदि कोई हो तो) प्राप्त हो जाने चाहिये उसके बाद ही असाधरण अवकाश की अवधि को वेतन वृद्वि की गणना हेतु नियमित माना जावे यह भी निर्णय किया गया कि निजी विश्वविद्यालयों अथवा निजी विभागों में जाने वाले कार्मिकों पर उक्त निर्णय लागू नहीं किया जावे।

72/11 राजस्थान नालेज कार्पोरेशन में विनियोग के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8–4 के तहत किया गया निर्णय अनुमोदनार्थ।

राज्य सरकार द्वारा गठित किये जाने वाले कार्पोरेशन के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों को व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई एवं इससे विवि0को होने वाले लाभ पर भी प्रकाश डाला गया इसके बाद प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8–4 के तहत की गई कार्यवाही का अवलोकन कर प्रस्तावित रेज्युलेशन का अनुमोदन किया गया।

72/12 महालेखाकार विशेष जांच प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 द्वारा डिश एंटिना के परिवहन शुल्क के क्रम में लगाये गये आक्षेप के क्रम में कार्यत्तर स्वीकृति।

डिश एंटिना के सम्बन्ध में किये गये व्यय का अनुमोदन किया गया ।

72/13 वित्त समिति में प्रबंध मंडल के मनोनीत सदस्य के रूप में माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिनियम की धारा 8–4 में प्रद्वत शक्तियों के तहत की गई नियुक्ति सूचनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिनियम की धारा 8–4 के तहत वित्त समिति में श्री संजय कूलवाल की नियुक्ति की कार्यवाही को नोट किया गया।

टेबल ऐजेंडा

72/14–1 विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स 03 के तहत निदेशक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव को स्थगित किया गया।

72/14–2 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त विधान एवं उक्त विधान के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार विधान का अनुमोदन एवं उक्त योजना को लागु करने एवं उससे सम्बन्धित समस्त कार्यवाही निदेशक योजना एवं विकास विभाग के अधीन किये जाने का प्रस्ताव।

राज्य सरकार के विधान के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये विधान का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार स्ववित्त पोषित योजना को लागू करने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक योजना एवं विकास विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय किया गया।

72/14–3 विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8–4 के तहत प्रद्वत शक्तियों का उपयोग करते हुए ई0एम0पी0सी0 एवं स्ट्राईड विभाग में सहायक निदेशक के पदों के सृजन एवं उस पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश अवलोकनार्थ।

प्रबंध मंडल द्वारा जारी किये गये आदेशों का अवलोकन कर की गई कार्यवाही को नोट किया गया।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं
सचिव, प्रबंध मंडल

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की 73वीं बैठक आज दिनांक 30 जुलाई 2008 को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1.	प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश कुमार विशिष्ट शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
3.	प्रो0अतुल शर्मा 80 डी0डी0ए0 (एस0एफ0एस) फ्लैट्स, द्वारिका नई दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रो0 श्रीमति मालाश्री लाल आचार्य, इंगलिश दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	सदस्य
5.	प्रो0 पी0 के0 शर्मा आचार्य, प्रबंध वर्धमान महावीर खुला वि0वि0, कोटा।	सदस्य
6.	डा0 श्रीमति सुषमा सिंघवी निदेशक, क्षे0 के0 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 अनाम जेटली कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सचिव

प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग एवं प्रो0 एस0 सी0 गर्ग की सहभागिता बैठक में संभव नहीं हो सकने की जानकारी के साथ आवश्यक गणापूर्ति के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने की घोषणा के साथ कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

73/01 प्रबंध मंडल की 72 वीं बैठक दिनांक 14 जून 2008 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न प्रबंध मंडल की 72वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

73/02 प्रबंध मंडल की 72वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के क्रम की गई अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा 72वीं बैठक में किये गये निर्णयों के क्रम में अब तक की गई कार्यवाही का अवलोकन करते हुए निर्णयों के क्रम में हुई कार्यवाही पर संतोष व्यक्त कर अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

73/03 नव नियुक्त निदेशक क्षे0केन्द्र को राज्य सरकार द्वारा सह आचार्य हेतु निर्धारित वेतन के समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव का सिद्धान्ततः अनुमोदन कर निर्णय किया गया कि उक्त आशय से राज्य सरकार को अवगत कराया जावे।

73/04 विश्वविद्यालय द्वारा अनुकंपा नियमो के तहत की गई नियुक्तियों के आदेशों का अवलोकन।

प्रबंध मंडल द्वारा जारी किये गये आदेशों का अवलोकन कर नोट किया गया।

73/05 रिक्त शैक्षिक पदों के विषय परिवर्तन सम्बन्धी आदेश सूचनार्थ।

विश्वविद्यालय की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8/4 के तहत जारी किये गये आदेशों का अवलोकन कर नोट किया गया ।

73/06 उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्यों को जानकारी दी गई कि दिनांक 28 जुलाई 2008 को निदेशक क्षे0के0 के तीन स्थाई पद व विज्ञापन में दिये गये विवरण के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के निदेशक क्षे0के0 का एक अस्थाई पद (जो कि भविष्य में स्थाई होने की संभावना है।)एवं उपकुलसचिव व सहायक कुलसचिव के एक एक पद के लिये चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, उक्त चयन समिति की अनुशंसऐं भी बंद लिफाफा में प्रबंध मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई।

प्रबंध मंडल के समक्ष चयन समिति की अनुशंसायुक्त सील बंद लिफाफे खोले गये जिन पर प्रबंध मंडल ने चयन समिति की अनुशंसा अनुमोदन करते हुए निम्नानुसार नियुक्ति दिये जाने का अनुमोदन किया । साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि अनारक्षित श्रेणी के तीन पदों में से चयन समिति की मैरिट के अनुसार अंतिम तीसरे पद के अभ्यार्थी की नियुक्ति लियन के विरूद्व की गई नियुक्ति को लीव वेकेन्सी मानी जाएगी :--

निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र:-

1.डा0 रमेश चन्द्र शर्मा — अनारक्षित वर्ग

2. डा0 नगेन्द्र कुमार — अनारक्षित वर्ग

3 डा0 पुष्पा सांखला

अनारक्षित वर्ग ~~अनारक्षित~~
लियन के विरूद्ध नियुक्ति

अन्य पिछड़ा वर्ग में निदेशक क्षे0के0 के पद पर किसी भी उम्मीदवार को पात्र नहीं पाये जाने के कारण पद को पुनः विज्ञापित करने का निर्णय किया गया।

निम्नलिखित अभ्यार्थीयों को मैरिट क्रम में प्रतिक्षा सूची में रखे जाने का अनुमोदन किया गया । किसी अभ्यार्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर मैरिट के अनुसार नियुक्ति दिये जाने का भी अनुमोदन किया गया :-

1. डा0 आशिष व्यास

2. डा0 अनिल कुमार क्षोत्रिय

उपकुलसचिव के पद हेतु चयन समिति की अनुशंसा के क्रम में श्री **डा0 मोहम्मद अख्तार खान** को नियुक्ति दिये जाने का अनुमोदन किया गया। निम्नलिखित अभ्यार्थी को मैरिट क्रम में प्रतिक्षा सूची में रखे जाने का अनुमोदन किया गया । अभ्यार्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर मैरिट के अनुसार नियुक्ति दिये जाने का भी अनुमोदन किया गया :-

1. डा0 गुलाब नबी

सहायक कुलसचिव के पद हेतु चयन समिति की अनुशंसा के क्रम में **श्री हेमराज मेहता** को नियुक्ति दिये जाने का अनुमोदन किया गया। निम्नलिखित अभ्यार्थी को मैरिट क्रम में प्रतिक्षा सूची में रखे जाने का अनुमोदन किया गया । अभ्यार्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर मैरिट के अनुसार नियुक्ति दिये जाने का भी अनुमोदन किया गया :-

1. श्री विपिन कुमार द्विवेदी

उपरोक्त निर्णयों के बाद बैठक आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापि करने के साथ समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव, प्रबंध मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

(पा० —1)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

प्रबंध मंडल की 74 वी बैठक
दिनांक 01 अगस्त 2009 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 01 अगस्त 2009 को प्रबंध मंडल की 74 वीं बैठक विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

1.	प्रो0 नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री तपेश पंवार प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राज0 सरकार,जयपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 अतुल शर्मा सदस्य,वित्त आयोग भारत सरकार,नई दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रो0 डी0के0चोधरी समकुलपति, इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0,नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रो0 श्रीमति मालाश्री लाल डिपार्टमेंट आफ इंगलिश दिल्ली विश्वविद्यालय(साउथ कैंपस)दिल्ली।	सदस्य
6.	प्रो0 अनाम जेटली आचार्य, राज0विज्ञान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
7.	डा0 श्रीमति सुषमा सिंघवी निदेशक,क्षे0के0 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जयपुर।	सदस्य
8.	श्री बी0एल0अधिकारी कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University
KOTA

बैठक प्रारंभ करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपस्थित नवीन सदस्यों श्री तपेश पंवार ,प्रो0 डी0के0चौधरी एवं कुलसचिव का स्वागत करते हुए समस्त सदस्यों का परिचय करवाया गया तथा प्रबंध मंडल के पूर्व सदस्य के रूप में प्रो0 एस0सी0 गर्ग , के सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रबंध मंडल की बैठक इतने लंबे अंतराल बाद आयोजित होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए सदन को अवगत करवाया कि सितंबर 2008 में आयोजित बैठक राज्य सरकार के निर्देश के कारण स्थगित कर दी गई थी एवं उसके बाद राज्य में लोकसभा एवं विधान सभा के चुनावों के कारण प्रबंध मंडल की बैठक इतने लंबे अंतराल बाद आयोजित की जा रही है। अब राज्य सरकार से बैठक आयोजित करने की अनुमति प्राप्त हो गई है,जिसके कम में आज की बैठक आयोजित की जा रही है।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि उनका तीन वर्ष का कार्यकाल आगामी अक्टूबर माह में पूर्ण हाने जा रहा है,पिछले तीन वर्षो में उनके द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी में सदन को अवगत करवाया गया कि मेरी नियुक्ति के बाद जब मैंनें महामहिम कुलाधिपति महोदय से भेंट की तो उन्होंने कहा था कि ओपन युनिर्वसिटी में कुछ अच्छे कार्य किये जाय एवं विशेष योजना बनाई जावे जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो, आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पिछले तीन वर्षो में विद्यार्थीयों की संख्या 16000 से बढकर 94000 हो गई है,विश्वविद्यालय के 120 अध्ययन केन्द्र स्वीकृत है तथा भविष्य में भरतपुर संभाग में क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है,इस दौरान न केवल विद्यार्थीयों की संख्या में ही इजाफा हुआ है बल्कि विश्वविद्यालय की आय में भी उल्लेखनीय वृद्वि हुई है,आज विश्वविद्यालय की वार्षिक आय लगभग 15 करोड़ रूपये है जब कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को 3.5 करोड़ रूपये का ही अनुदान आयोजना भिन्न मद में दिया जा रहा है, माननीय सदस्य प्रो0 अतुल शर्मा एवं प्रो0 डी0 के0 चौधरी द्वारा पिछले वर्ष की छात्र संख्या 43000 से इस वर्ष छात्रों की संख्या 90000 हो जाने पर छात्र संख्या में इतनी अधिक वृद्वि का कारण जानने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि राजस्थान नालेज कार्पोरेश एवं राजस्थान मिशन आफ लीवलीहुड जैसी संस्थाओं के साथ एम0 ओ0 यु0 होने के कारण इन संस्थाओं में पंजिकृत विद्यार्थीयों की परीक्षा भी इस विश्वविद्यालय द्वारा ही ली जा रही है।

उक्त जानकारी के उपरांत आवश्यक गणापूर्ति बाद बैठक विधिवत प्रारंभ करने के निर्देश के साथ कुलसचिव द्वारा कार्यसूचित विवरण में उल्लेखित बिंदुओं को कमानुसार सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा बाद विचारविमर्श निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

74/01 प्रबंध मंडल की 73 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2008 को आयोजित प्रबंध मंडल की 73 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University
KOTA

74/02 प्रबंध मंडल की 73वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई 2008 के निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

73 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार बाद चर्चा अनुमोदन किया गया :-

अनुपालना प्रतिवेदन

निर्णय संख्या	निर्णय का संक्षेप विवरण	की गई कार्यवाही
73/01	प्रबंध मंडल की 72 वीं बैठक दिनांक 14 जून 2008 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।
73/02	प्रबंध मंडल की 72 वीं बैठक के निर्णयों के कम में अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।	कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं है।
73/04	नवनियुक्त निदेशक क्षे0के0 को राज्य सरकार द्वारा सह आचार्य हेतु निर्धारित वेतन के समान वेतन दिये जाने का सिद्धान्ततः अनुमोदन एवं राज्य सरकार को निर्णय से अवगत करवाये जाने का निर्णय।	राज्य सरकार को निर्णय से अवगत करवा दिया गया है, किंतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।
73/05	रिक्त शैक्षिक पदों के विषय परिवर्तन की सूचना का अनुमोदन।	विषय परिवर्तन के निर्णय की राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है।
73/06	निदेशक क्षे0के0, उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव पद के साक्षात्कार लेने हेतु आयोजित चयन समितियों की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	प्रबंध मंडल के अनुमोदन बाद चयन समिति की अभिशंसा के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे तथा सभी उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

KOTA

74/03 दिनांक 27 जनवरी 2009 एवं 25 मई 2009 को आयोजित वित्त समिति 39वीं एवं 40 वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

वर्ष 2009–10 के वार्षिक बजट को छोड़कर वित्त समिति की 39 वीं एवं 40 वीं बैठकों के शेष कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2009–10 के वार्षिक बजट के सम्बन्ध में प्रो0 अतुल शर्मा, प्रो0 डी0 के0 चौधरी एवं प्रमुख शासन सचिव उ0शि0 द्वारा जानना चाहा कि वर्ष 2008–09 में विश्वविद्यालय की आय 15 करोड़ रूपये होना दर्शाया गया है, जबकि 2009–10 में 13 करोड़ की आय का अनुमान किस आधार पर लगाया गया जबकि बैठक प्रारंभ करते समय सदन को यह अवगत करवाया गया है कि विद्यार्थीयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी वृद्वि हुई है,ऐसी स्थिति में आय में पिछले वर्ष की तुलना में 02 करोड़ की कमी दर्शाई गयी है जो कि अविश्वसनीय है। सदस्यों की उक्त टिप्पणी के कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को सदन के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया, किंतु वित्त अधिकारी का कहना था कि वर्ष 2008–09 की अनुमानित आय 11 करोड़ को आधार मानकर इस वर्ष की अनुमानित आय 13 करोड़ रूपये दर्शाई गई है।

इस पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं प्रो0 अतुल शर्मा ने असहमति जताते हुए कहा कि बजट बनाते समय पिछले वर्ष की वास्तविक आय एवं व्यय को आधार बनाया जाता है, जबकि प्रस्तुत बजट पिछले वर्ष के अनुमानों के आधार पर तैयार किया हुआ प्रतीत होता है,इस कारण बजट स्वीकार्य नहीं है और बजट निर्माण प्रकिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों को अपनी स्वीकृति देने में असमर्थता जताई। इस पर माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) के तहत बजट अनुमोदित किया जा चुका है। अब बजट को अस्वीकृत किया जाने से संकट खड़ा हो जायगा और विश्वविद्यालय को आवश्यक भुगतान करने में भी समस्या आ जावेगी इस पर माननीय सदस्यगणों द्वारा विचार विमर्श बाद निम्न प्रस्ताव पारित किया:–

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open
KOTA

"वर्ष 2009–10 के बजट निर्माण की प्रकिया सही नहीं है,बजट पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिये अतः प्रस्तुत बजट को स्वीकृत करने में असहमति दर्शायी जाती है,तथा पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रखकर पुनः बजट अनुमान तैयार किया जावे तथा उसे वित्त समिति के अनुमोदन के बाद प्रबंध मंडल में नये सिरे से प्रस्तुत किया जावे। जब तक उक्त प्रकिया पूर्ण नहीं होती जब तक सदन पिछले वर्ष की राशी 9.9 करोड़ की सीमा तक व्यय करने की अनुमति विश्वविद्यालय को देता है।"

74/04 विद्या परिषद की 35 वीं बैठक(आपात) दिनांक 05 फरवरी 2009, 36 वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी 2009 एवं 37 वीं बैठक (विशेष)दिनांक 30.02.09 के कार्यवाही विवरणों अवलोकनार्थ।

विद्या परिषद की 35वीं,36वीं एवं 37वीं बैठको के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श प्रस्ताव के साथ संलग्न कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

74/05 राज्य अन्वेशण ब्युरो द्वारा जांच समाप्त किये जाने के बाद डा0 आर0के0 जैन के विरूद्व विभागीय जांच करवाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत प्रस्तुत परिवाद एवं उस पर तात्कालीन कुलपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णय तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के सम्बन्ध में लिखे गये पत्रों के अवलोकन के बाद माननीय सदस्यगणों द्वारा जानकारी चाही गई कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने से पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर क्या कोई प्राथमिक जांच की गई थी?इस पर सदन को अवगत करवाया कि ऐसी कोई जांच होना रिकार्ड पर नहीं पाया जाता है। सदस्यों द्वारा यह भी जानना चाहा कि चूंकि यह प्रकरण अत्यंत पुराना है एवं इतनी बड़ी अनियमितता के लिये क्या कोई विशेष अंकेक्षण अथवा महालेखाकार जांच दल द्वारा भी आक्षेप लगाते हुए कोई अनियमितात बताई गई है, इस पर सदन को जानकारी दी गई कि परिवेदना में दर्ज कुछ बिंदुओं के सम्बन्ध में महालेखाकार के अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेप लगाये गये है तथा राज्य सरकार द्वारा भी स्पेशल आडिट करवाई गई है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत जवाब को महालेखाकार एवं स्पेशल आडिट द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के कारण पैरा अभी भी लंबित है।

उपरोक्त तथ्यों की जानकारी के बाद प्रकरण पर विचार विमर्श बाद यह निर्णय किया गया कि प्रस्ताव के साथ संलग्न परिवेदना अत्यंत गंभीर प्रकृति है और विश्वविद्यालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने से पूर्व तथ्यों की पुष्टि हेतु प्राथमिक जांच विश्वविद्यालय स्तर पर करवानी चाहिये थी.अतः सदन द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्य प्रो0 अनाम जेटली को प्राथमिक जांच कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत करते हुए यह भी निर्णय लिया कि प्रो0 जेटली जांच प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व प्रबंध मंडल के सदस्य श्री अतुल शर्मा से सलाह मशविरा कर लेवें।

REGISTRAR
Verdhaman Mahaveer ...
KOTA

87

74/06 परीक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में जारी आदेश अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्तुत कार्यसूची विवरण में विस्तृत प्रस्ताव नहीं होने पर विचार विमर्श करने पर असमर्थता जताते हुए आगामी बैठक में विस्तृत प्रस्ताव के साथ कार्यसूची विवरण में सम्मिलित करने के निर्देश दिये।

74/07 विश्वविद्यालय अधिनियम के स्टेच्युट्स में उल्लेखित विद्यापीठ व्यवस्था को स्थगित कर एक वर्ष तक निदेशक संकाय की व्यवस्था किये जाने के कम में एक वर्ष पूर्ण(11.02.09) होने के बाद आगामी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव निर्णयार्थ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यगणों को इस तथ्य से भी अवगत करवाया कि विद्यापीठ व्यवस्था लागू रहने से विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तिय भार, अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि वर्तमान में संभव नहीं है, इसी प्रकार विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद ही अत्यंत कम होने के कारण विद्यापीठ व्यवस्था को जारी रखा जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

सदन में विचार विमर्श बाद यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ व्यवस्था का स्थगित रखने के निर्णय का स्वीकृति के लिए महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित किया जावे।

74/08 राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिये लागू चिकित्सा पुर्नभरण सहायता नियम–2008 को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने का प्रस्ताव।

राज्य सरकार के प्रस्तावित नियमों को लागू करने के निर्णय से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा कुछ ट्रस्टों द्वारा संचालित चिकित्सालयों को भी अनुमोदित कर रखा है जिनमें इलाज करवाने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण राशी का पुर्नभरण किया जा रहा है,अतः राज्य सरकार के नवीन नियमों के साथ साथ उक्त चिकित्सालयों के पुर्नभरण की व्यवस्था भी जारी रखी जानी चाहिये ताकि कर्मचारियों को इलाज की बेहतर सुविधा कम पैसों में उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सके। इस कम में प्रमुख शासन सचिव,उच्च शिक्षा द्वारा सदन को अवगत करवाया कि माननीय अध्यक्ष महोदय का सुझाव प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं होने के कारण इस पर अभी निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

उक्त चर्चा उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि राज्य सरकार के आदेश कमांक F.6(4)FD(rules)2003दिनांक 16.09.2008 से सरकारी कर्मचारियों के लिये पूर्व में जारी समस्त आदेशों,परिपत्रों को प्रत्याहारित कर नये नियम "चिकित्सा पुर्नभरण सहायता नियम–2008"लागू किये है विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार के साथ एम0ओ0यु0 कर रखा

REGISTRAR
Vardhman Mahaveer Open University
KOTA

है,जिसकी पालना में उक्त नये नियम एवं भविष्य में उसमें समय समय पर किये जाने वाले संशोधनों को पूर्णरूपेण लागू किया जाता है, ताकि विश्वविद्यालय में स्वयं के चिकित्सा पुनर्भरण सहायता नियम एवं उसके तहत समय समय पर जारी आदेश/निर्देश लागू नहीं रहेंगे।

74/09 इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0 एवं देश के अन्य खुले विश्वविद्यालयों के मध्य शिक्षा के विकास हेतु किये जाने वाले एम0ओ0 यु0 को प्रारूप अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

एम0ओ0 यु0 को अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

74/10 प्रवेश विभाग एवं छात्र सहायता प्रकोष्ठ को क्षेत्रीय सेवाऐं विभाग में Merge करने बाबत् जारी आदेश सूचनार्थ।

जारी किये गये आदेशों को अवलोकन कर नोट करते हुए पुष्टि की गई।

74/11 विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान संख्या 8/4 में माननीय कुलपति महोदय को प्रद्वत शक्तियों (The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority of the University under this Act or Statutes.) के तहत जारी किये गये निम्नलिखित आदेश अवलोकनार्थ :-

1. दिनांक 02 अप्रेल 2009 को आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह में श्री गोहर रिज़वी को डी0 लिट0 की मानद उपाधि दिये जाने का निर्णय।

   सूचना को नोट किया गया।

2. प्रबंध मंडल की छठी बैठक में कुलसचिव पद में निहित शक्तियों को स्थगित करने बाबत् आदेश कमांक 3637 एवं 3638 दिनांक 4.5.09।

   सूचना को नोट किया गया।

3. वित्तिय वर्ष 2009-10 के बजट अनुमोदन सम्बन्धी आदेश कमांक 484 दिनांक 25.06.09।

   उक्त आदेशों के सम्बन्ध में निर्णय, कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 74/13 में कर दिया गया है।

4. भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो द्वारा सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग में मारे गये छापे के कम में अब तक कार्यवाही से सम्बन्धित नोट संलग्न परिशिष्ट

REGISTRAR
Vardhman Mahaveer Open University
KOTA

पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए विभागीय जांच के आधार पर [illegible] किये गये आदेश संलग्न परिशिष्टों पर सूचनार्थ।

चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा ने जानना चाहा कि, विश्वविद्यालय में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कौन अधिकारी सक्षम है? तथा यह भी जानना चाहा कि क्या प्रबंध मंडल की शक्तियों में अनुशासनात्मक कार्यवाही करना निहित है? इस सम्बन्ध में सदन को स्टेच्यु की धारा 7/2 में वर्णित शक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया साथ ही स्टेच्युट्स 1/14(जे) से भी सदन को अवगत करवाया गया जिसके अनुसार कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक,अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करने में सक्षम है।

उक्त जानकारी के कम में बाद विचार विमर्श यह निर्णय किया गया कि जारी किये गये आदेशों को 8/4 में जारी करने की आवश्यकता नहीं थी,तथा इस प्रकार के आदेश अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुसार जारी किये जाने चाहिये।

5. अध्ययन केन्द्रों पर कार्यरत कांउसलर्स कार्डिनेटर्स व स्टाफ के मानदेय ,विश्वविद्यालय के स्टाफ ट्रनिंग अनुभाग की गतिविधियों हेतु पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन सम्बन्धी आदेश पुष्टि हेतु।

माननीय सदस्यों ने कार्यसूची विवरण में संलग्न आदेशों के सम्बन्ध में जानना चाहा कि क्या उक्त आदेश वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये गये है जिस पर अवगत करवाया गया कि इनका अनुमोदन वित्त समिति से नही करवाया गया है उक्त जानकारी के बाद सदन द्वारा यह कहा गया कि चूंकि आदेश जारी हो चुका है इसलिये इस पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है, किंतु भविष्य में वित्तिय प्रभाव डालने वाले समस्त प्रकार के प्रस्तावों को वित्त समिति से अनुमोदन बाद ही प्रबंध मंडल में प्रस्तुत किया जावे।

74/12 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी०ए०एस० लाभ दिये जाने हेतु आयोजित विभिन्न विषयों की चयन समितियों की अनुशसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र कमांक प.14(10)शि.4/2001 पार्ट दिनांक 17.07.09 की जानकारी देते हुए विभिन्न विषयों की चयन समितियों द्वारा सीलबंद लिफाफे खोलने की अनुमति चाही गई। चर्चा के दौरान प्रो० मालाश्री लाल द्वारा उनको प्राप्त हुए कुछ प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। जिसमें मुख्यत: दो बिंदुओं पर प्रतिवेदन दिये गये थे:-

1. भर्तियों में आरक्षण नीति
2. राज्य सरकार द्वारा विषयवार स्वीकृति

REGISTRAR
Vardhman Mahaveer Open University
KOTA

कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्यपाल महोदय द्वारा जारी आदेश कमांक 2263 दिनांक 08 जुलाई 1998 (प्रति संलग्न) एवं राज्य सरकार का पत्र कमांक प.3(5)शिक्षा–4/2007 दिनांक 9.05.08 (प्रति संलग्न)के अनुसार आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

अन्य सदस्या श्रीमति सुषमा सिंघवी ने जानना चाहा कि राज्य सरकार के दिनांक 17.07.09 के पत्र में सह आचार्य राज0विज्ञान के पद की स्वीकृति प्राप्त हुई है जबकि विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार राज0विज्ञान के साथ साथ गाधीयन स्टेडीज में विशेषज्ञता की योग्यता सहित पद का विज्ञापन जारी किया था, माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन के पटल पर राज्य सरकार के पत्र कमांक प.14(10)शि–4/2001पार्ट/वीएमओयु दिनांक 31.07.09 की प्रति प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन के आधार पर विषय परिवर्तन की स्वीकृति में संशोधन करते हुए गांधीयन स्टेडीज की विशेष योग्यता सहित राज0विज्ञान के सह आचार्य का पद भरने की संशोधित अनुमति जारी कर दी है।

उपरोक्त विचारविमर्श बाद चयन समितियों के सीलबंद लिफाफे खोलने की अनुमति प्रदान की गई जिसके कम में विभिन्न विषयों की चयन समितियों के सीलबंद लिफाफे सदन के समक्ष खोले जाने पर निम्नलिखित अभ्यार्थीयों को चयन किया गया:–

कम संख्या	पद	विषय	चयनित अभ्यार्थी	आरक्षित अभ्यार्थी
01	सह आचार्य	राज0 विज्ञान गाधीयन अध्ययन में विशेषज्ञता सहित	डा0 बी0 अरूण कुमार।	डा0 फूल सिंह
02	सहा0आचार्य	वनस्पति विज्ञान	डा0 अनुराधा शर्मा	सुरेन्द्र सौलंकी
03	सहा0आचार्य	शिक्षा	डा0 कीर्ती सिंह	आई0 जे0 दत्त
04	सहा0आचार्य	वाणिज्य	अनुरोध गोधा	मनीश जैन

भूगोल विषय के आचार्य पद हेतु आयोजित साक्षात्कार के बाद चयन समिति द्वारा किसी भी अभ्यार्थी को उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

प्रबंध मंडल द्वारा चयन समिति की उक्त अनुशसाओं को अनुमोदित करते हुए चयनित अभ्यार्थीयों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer
KOTA

उक्त लिफाफों को खोलने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी0ए0ए0एस0 लाग के तहत आयोजित साक्षात्कारों के सीलबंद लिफाफे सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये जिनके परिणामस्वरूप निम्नलिखित शिक्षकों को उनके नाम के आगे उल्लेखित परिलाभ दिये जाने की अनुशंसा चयन समिति द्वारा की गई :

क्र0सं0	शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पद	विषय	देय पारिलाभ/पद
01	डा0 बी0के0शर्मा, सह आचार्य	इतिहास	आचार्य इतिहास में सी0ए0एस0 के तहत पदोन्नति की सिफारिश
02	डा0 जे0के0शर्मा सहायक आचार्य,	अर्थशास्त्र	सह आचार्य अर्थ शास्त्र में सी0 ए0 एस0 के तहत पदोन्नति की सिफारिश
03	श्री योगेश शर्मा सहायक आचार्य,	विधी	सहायक आचार्य पद का चयनित वेतनमान
04	श्री सुधीर खैर सहायक आचार्य,	विधी	सहायक आचार्य पद का वरिष्ठ वेतनमान
05	डा0 आर0के0जैन सहायक आचार्य,प्रबंध	प्रबंध	सहायक आचार्य के पद का चयनित वेतनमान

74/13 विश्वविद्यालय के कुलपति चयन समिति में प्रबंध मंडल द्वारा नामित सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव के कम में चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, प्रो0 अतुल शर्मा एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत नामों पर विचार विमर्श बाद प्रो0 एस0डी0मुनि के नाम का अनुमोदन किया गया।

74/14 अन्य बिंदु आसन की अनुमति से।

समयाभाव के कारण किसी भी टेबिल ऐजेंडा पर चर्चा किया जाना संभव नहीं हो सका।

उक्त निर्णयों बाद आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई ।

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University
KOTA

कुलसचिव 28/09
एवं सचिव, प्रबंध मंडल

No. F.1.(39) RB/98/2263

ORDER

Dated July 8, 1998.

Directives were issued by this Secretariat order No. F. 1(39)RB/96/4473 dated November 5, 1996 and No. F.1(39)RB/96/4826-4831 dated 4th December 1996 to various Universities in Rajasthan for implementing the reservation policy for SC/ST and OBC candidates for teaching posts in the Universities of the state of Rajasthan.

2. The matter was reconsidered taking into account the representations received from the Vice Chancellors and also in the light of judgements pronounced by the various Hon'ble High Courts and Hon'ble Supreme Court. After careful examination of the issues I am satisfied that it is necessary and expedient to review the directions issued on this context.

3. I therefore hereby issue the following directions to all Universities regarding reservation of posts for SC/ST/OBCs in the matter of recruitment of varios teaching and non-teaching posts:-

(1) The provisions of section 10 and 10(A) of the Rajasthan Universities' Teachers and others (Selection for Appointment) Act, 1974 (as amended from time to time) should be complied with, in letter and spirit, by the University.

(2) In all notices for recruitment to various positions in the University, the University must necessarily indicate the specific number of posts reserved for each category viz. SC/ST/OBC.

(3) For the purpose of recruitment to the posts of teachers, each subject should be treated as a seprate and distinct cardre, and reservation of the posts in respect of each category viz. SC, ST and OBC should be determined accrodingly.

(4). Further, such reservation should be made in each cadre separately, at each level of these posts, viz. Professors, Readers and Lecturers. However, in the case of any cadre which consists of only one post, such single post should be treated as being unreserved.

(5). In respect of those cadres which include many posts (at any given level) the identification of the number of posts to be reserved for direct recruitment from mebers of each category viz. SC,ST & OBC, should be done in accordance with the model roster of reservations prescribed by the Government of Rajasthan vide DOP order No. F 15(24)DOP/A-II)75 dated 20/11/97.

This is in supersession of the guidelines issued earlier on this subject by this office.

5. The Universities should proceed with [illegible] as much delay has been caused. These directions shall [illegible]

(S. L. Tibrewal)
Governor & Chancellor,
Universities in Rajasthan.

8197-810
24/5/08

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

प. 3(5) शिक्षा–4/2007 जयपुर, दिनांकः 9/5/2008

कुलसचिव,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा (राज.)

DR (Estt)

विषयः– विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति की अनुपालना के संबंध में यू.जी.सी. द्वारा जारी मार्ग–दर्शिका बाबत् ।

संदर्भः– आपका पत्र कमांकः एफ.2/व.म.खु.वि/स्था/अशै./08/4654 दिनांक 9.4.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयो में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कम्रचारियों की नियुक्ति के संबध में 1974 के अधिनियम तथा डी.ओ.पी. के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हे । यू.जी.सी. की गाईड लाईन्स का अक्षरशः पालन करने का किसी विधान में प्रावधान नहीं है और न ही राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है ।

भवदीय,

(डा0 ओ.पी.गुप्ता)
विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

Sh. Garg
30/5

~~12~~
14

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 14 (10) शिक्षा–4 / 2001 पार्ट / वीएमओयू जयपुर, दिनांकः 31.7.2009

कुलसचिव,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा ।

विषयः–विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के संबंध में पदो के परिवर्तन की स्वीकृति बावत।

सदर्भः–कुलपति महोदय का पत्र क्रमांकः एफ.1 / वमखुवि / वी.सी.एस / 09 / 3822 दिनांक 28.7.2009 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.7.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सन्दर्भित पत्र दिनांक 21.7.2009 द्वारा साक्षात्कार से संबंधित विषयों में पदों को परिवर्तित कर भरने की स्वीकृति निम्नानुसार जारी की गई थीः–

क्र. सं.	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत पद	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साक्षात्कार से संबंधित विषयों में पदों को परिवर्तित कर भरनें की स्वीकृति
1.	प्रोफेसर –गांधी एवं शांति अध्ययन	प्रोफेसर–भूगोल
2.	एसोसियेट प्रोफेसर–पुस्तकालय विज्ञान	एसोसियेट प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान
3.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–फूड एण्ड न्यूट्रेशन	सहायक आचार्य– वनस्पतिशास्त्र

इस संबंध में विश्वविद्यालय से प्राप्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.7.2009 के क्रम में उपरोक्त क्रम संख्या 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

2.	एसोसियेट प्रोफेसर–पुस्तकालय विज्ञान	एसोसियेट प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान (Specialization in Gandhian Studies)

भवदीय,

(डा. के. एम हिरोनी)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

15

Registrar Offc
Inward No : 1372
21.7.9

(458

Copy to E&H
21/7/09

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 14 (10) शिक्षा–4 / 2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.7.2009

कुलसचिव,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय:–विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साक्षात्कारों के संबंध में पदो के परिवर्तन की स्वीकृति एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक आयोजित करनें के संबंध में ।

संदर्भ:–कुलपति महोदय का पत्र कमांक: एफ.1 / बमखुवि / वी.सी.एस / 09 / 3534 दिनांक 19.3.2009 एवं इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.8.2007, 23.5.2008,14.11.2008

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पदों को कुलपति महोदय के प्रस्तावनुसार परिवर्तित करनें की अनुमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत पद	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साक्षात्कार से संबंधित विषयों में पदों को परिवर्तित कर भरनें की स्वीकृति
1.	प्रोफेसर –गांधी एवं शांति अध्ययन	प्रोफेसर–भूगोल
2.	एसोसियेट प्रोफेसर–पुस्तकालय विज्ञान	एसोसियेट प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान
3.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर–फूड एण्ड न्यूट्रेशन	सहायक आचार्य– वनस्पतिशास्त्र

उक्त परिवर्तन के अतिरिक्त इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 27.8.2007 के अतिरिक्त में वाणिज्य संकाय में असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद को भरने की स्वीकृति ।

उपरोक्तानुसार पदों को भरने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय इसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल की बैठक में आवश्यक रुप से करवायेगा । तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आरक्षण प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा । साथ ही विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक पर लगाई गई रोक तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है ।

भवदीय,

(तपेश पवार)
प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा

पत्रि० — 2

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
Receipt No 1811
S.O.(R)
Section

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

(लेखा एंव वित्त)

क्र. वमखुवि / एंएंववि / बिल / मेडिकल / 2009 / 843-62 दिनांक 1 / 9 / 09

1259-SO(R)
5/9/09

कार्यालय आदेश

दिनांक 1 अगस्त, 2009 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 74वी बैठक के निर्णय संख्या 74 / 8 की अनुपालना मे, विश्वविद्यालय मे वर्तमान मे प्रचलित चिकित्सा परिचर्या नियम 1970, व समय–समय इस बाबत जारी किये समस्त आदेशो को अधिक्रमित (Supersession) करते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग (Rules Division) द्वारा जारी अधिसूचना (Notification) कमाक F.6(4)FD(Rules)/2003 दिनांक 16 / 9 / 2008 को अंगीकार करते हुए विश्वविद्यालय मे भी राज्य सरकार की भॉति राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 एंव तत्संबधी संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है।

ह०

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव कुलपति सचिवालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
3. समस्त ईकाई प्रमुख ....
4. सहायक लेखाधिकरी–प्रथम (लेखा एंव वित्त) वर्धभान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. बिल लिपिक (लेखा एंव वित्त) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

सहायक लेखाधिकरी

परि० — 3

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

कमांकः वमखुवि / स्था / चिकि. / 2010 / दिनांकः 28 / 01 / 2010

कार्यालय--आदेश

प्रबन्ध मण्डल की 74 वीं बैठक दिनांक 01 अगस्त 2009 के निर्णय संख्या 74 / 08 की अनुपालना में चिकित्सा पुनर्भरण नियम 2008 को विश्वविद्यालय में कार्यालय आदेश कमांक वमखुवि / लेएवंवि / बिल / मेडिकल / 2009 / 843–62 दिनांक 1 / 9 / 09 के द्वारा लागू किये जाने के कम में विश्वविद्यालय में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश कमांक कोखुवि / स्था / अशै / 01 / 118 दिनांक 01 / 03 / 01 तथा कोखुवि / स्था / चिकि / 02 / 386 दिनांक 12 / 6 / 02 में वर्णित चेरीटेबल ट्रस्टों द्वारा संचालित अस्पतालों से चिकित्सा सुविधा लेने पर बिलों के पुनर्भरण की पूर्व में लागू व्यवस्था को बहाल लिया जाता है।

यह आदेश माननीय कुलपति महोदय की आज्ञानुसार जारी किये जाते हैं।

कुलसचिव

क्रमांक :- स्था/347-51 दिनांक 29/1/2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, व.म.खु.वि., कोटा
2. वित्त अधिकारी, व.म.खु.वि., कोटा
3. समस्त इकाई अध्यक्ष .... व.म.खु.वि., कोटा
4. समस्त निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, व.म.खु.वि., ...
5. कुलसचिव कार्यालय, व.म.खु.वि., कोटा

उप कुलसचिव
(स्थापना)

OFFICE COPY

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्याल,कोटा।

प्रबंध मंडल की 75 वीं बैठक
कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की 75 वीं बैठक दिनांक 12 मार्च 2010 को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित हुई जिसमें,निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. श्री तपेश पंवार — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार,जयपुर।

3. श्री सुरेश गुप्ता — सदस्य
   प्रतिनिधी:–प्रमुख शासन सचिव
   वित्त विभाग,राज0 सरकार जयपुर।

4. प्रो0 एम0 के0 घाड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य(अर्थशास्त्र)
   एवं
   कुलसचिव(कार्यवाहक) — सचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
   कोटा।

5. डा0 आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।

बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम राज्य के पूर्व राज्यपाल महोदय एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्व0 श्रीमान् एस0 के0 सिंह साहब एवं विश्वविद्यालय के राज0 विज्ञान के आचार्य एवं प्रबंध मंडल के सदस्य स्व0 श्री अनाम जेटली को श्रृद्धांजली अर्पित करने के बाद माननीय कुलपति महोदयक द्वारा प्रबंध मंडल के नवमनोनीत सदस्यों प्रो0 एम0 के घड़ोलिया एवं डा0 आर0 सी0 शर्मा को परिचय करवाया एवं पूर्व सदस्यों श्रीमीत सुषमा सिंघवी एवं स्व0 अनाम जेटली द्वारा प्रबंध मंडल सदस्य के रूप में किये गये सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

तत्पश्चात् राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव के प्रतिनिधि के रूप में विभाग के उपसचिव को प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध मंडल की बैठक में भेजे जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम में यह वर्णित

है कि यदि किसी कारणवशः राज्य सरकार के सचिव बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो उनके द्वारा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव स्तर के अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु प्रतिनिधि के रूप में भेजा जा सकता है। उपसचिव का पद विशिष्ट शासन सचिव से निम्न है किंतु वित्तिय वर्ष 2009–10 समाप्ति की ओर है तथा विश्वविद्यालय का वर्ष 2009–10 का बजट पास करवाया जाना अत्याधिक आवश्यक है,साथ ही राज्य की विधान सभा का भी बजट सत्र जारी रहने के कारण वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव की राजकार्य में व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त विभाग के उपसचिव स्तर के अधिकारी को विशेष परिस्थिति में सदस्य के रूप में बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई। तदुपरांत आवश्यक गणापूर्ति की कार्यवाही बाद कुलपति महोदय द्वारा कार्यसूची विवरण को बिंदुवार पटल पर रखने वास्ते निर्देश प्रदान किये गये, कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा करते हुए प्रबंध मंडल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये:–

75/01 प्रबंध मंडल की 74 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 74 वीं बैठक दिनांक 01 अगस्त 2009 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया एवं कार्यसूची विवरण के साथ प्रस्तुत अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष प्रकट करते हुए अनुमोदित किया गया।

75/02 वित्त समिति की 41वीं बैठक दिनांक 25.08.09 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

वित्त समिति की 41 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं उसमें लिये गये निर्णयों के साथ वर्ष 2009–10 के बजट को विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तुत करने के उपरांत बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

- विश्वविद्यालय के बजट अनुमान वित्तिय वर्ष 2009–10 एवं संशोधित बजट अनुमान 2008–09 को अवलोकन बाद अनुमोदन।

बजट पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा जब विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया गया था, उस समय विश्वविद्यालय की कुल आय 4.0 करोड़ रूपये थी जो कि पिछले वित्तिय वर्ष में 16 करोड़ रूपये है, तथा आगामी वर्ष में उक्त आय बढ़कर लगभग 20 करोड़ रूपये होने की संभावना है, प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय की आय में बढोतरी पर हर्ष प्रकट करते हुए करते हुए व्यवस्था दी कि आर0ई0 करते समय व्यय में कमी लाने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जावें,माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल को व्यय में कमी लाने का आश्वासन दिये जाने के बाद कार्यसूची विवरण में सलग्न विश्वविद्यालय के वर्ष 2009–10 के बजट का अनुमोदन किया गया।

- विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने बाबत् प्रो0 पी0 के0 शर्मा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त समिति के अनुमोदन के कम में निर्णय।

विश्वविद्यालय कार्मिकों को मानदेय के सम्बन्ध में प्रबंध मंडल ने मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया कि मानदेय के भुगतान से पूर्व रेप्सार एक्ट के प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त मानदेय दिया जावे।

उपयुक्त निर्णयों के अतिरिक्त वित्त समिति की 41 वीं बैठक के शेष कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

75/03 विद्या परिषद की 38वी एवं 39 वीं बैठकों दिनांक 02.09.09 व 09.12.09 के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन बाद अनुमोदन किया जाने का प्रस्ताव।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न विद्या परिषद की 38 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया 39 वीं बैठक के कार्यसूची विवरण में शोध नियमों के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को जानकारी दी कि "पिछले वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0 फिल0 एवं शोध कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में जारी नवीन नियमों के कारण देश के समस्त खुले विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एम0 फिल0 एवं शोध कार्य में नवीन पंजीकरण की प्रकिया रूक गई थी इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने यु0जी0सी0 के शोध सम्बन्धी नवीन नियमों पर आधारित नियम तैयार कर विद्या परिषद की 39 वीं बैठक में पारित करवा लिये गये है.इन नियमों का प्रबंध मंडल से अनुमोदन के बाद यु0जी0सी0 से पुनः एम0 फिल0 एवं शोध कार्य में नवीन पंजीकरण की अनुमति हेतु निवेदन किया जावेगा।" तदुपरांत प्रबंध मंडल द्वारा एम0 फिल0 एवं शोध के संलग्न नियमों सहित विद्या परिषद की 39 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

REGISTRAR
KOTA

(परिशिष्ट संलग्न)

75/04 कंप्यूटर प्रोग्रामर को काल्पनिक लाभ की अवधि के भुगतान बाबत्।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा पद स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये विज्ञापन की प्रति की जानकारी मांगी गई.उक्त दस्तावेज तत्काल सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह निर्णय किया गया कि प्रस्ताव को आगामी बैठक में संपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जावे।

75/05 शिक्षकों के रिक्त पदों के विषय परिवर्तन की राज्य सरकार की स्वी का अवलोकन एवं अनुमोदन।

शिक्षकों के रिक्त पदों के विषय परिवर्तन के सम्बन्ध में जारी राज्य सरका पत्र का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।

75/06 तकनीकी सहायक के पद को समाप्त कर कनि0लिपिक का पद स्वीकृत करने राज्य सरकार के निर्णय के कम में जारी आदेश का अवलोकन एवं अनुमोदन

तकनीकी सहायक का पद समाप्त का कनि0 लिपिक का पद सृजित किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के पत्र का अनुमोदन किया गया।

75/07 चालू वित्तिय वर्ष 2009–10 में नया बजट मद बनाये जाने बाबत् वित्त अधिकारी के आदेश कमांक 650 दिनांक 31.07.09 सूचनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा नवीन बजट मद (पब्लिकेशन आफ युनिवर्सि जर्नल) बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सदन को अवगत करवाया विश्वविद्यालय द्वारा ज्ञान विमर्श का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है, तथा भविष्य अन्य प्रकाशन के सम्बन्ध में भी विचार विमर्श किया जा रहा है ऐसी स्थिति प्रकाशन के सम्बन्ध में अलग से बजट प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए नवीन बजट मद का सृजन किया गया है। सदन द्वारा उक्त जानक के बाद जारी किये गये आदेश कमांक 650 दिनांक 31.07.09 का अनुमोदन कि गया।

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University

75/08 कंप्यूटर विषय में शिक्षकों को सी0 ए0 एस0 का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे गठित चयन समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्ताव।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों तहत सी0ए0एस0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियमानुस गठित चयन समिति की दिनांक 23.10.09 को आयोजित बैठक सील्ड अनुशंस प्रबंध मंडल के समक्ष रखी गई, जिसे प्रबंध मंडल की बैठक के दौरान खोले जा के बाद चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित करते हुए प्रबंध मंडल द्वा विश्वविद्यालय के कंप्युटर विषय के सहायक आचार्य श्री राकेश शर्मा को चयनि वेतनमान दिये जाने का निर्णय किया गया।

75/09 बी0एड0 परीक्षा जुलाई 93 के परीक्षा परिणाम के अंकों की पुर्नगणना में हुई अनियमितता प्रकरण में प्राप्त विधिक राय पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना भूलवश कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न नहीं की जा सकने के कारण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

75/10 अन्य बिंदु आसन की अनुमति से:—

75/10(1) निजी क्षेत्र की ओर से प्रदान किये जाने वाले मेडल एवं सम्मान के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

उक्त सम्बन्ध में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व सदस्य डा0 आदर्श किशोर की ओर से उनकी माताजी श्रीमती पार्वती किशोर के नाम से एम0 ए0 अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रदान किये जाने वाले मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया। प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया गया कि भविष्य में अन्य व्यक्ति भी इस दिशा में आगे आ सकते है, अतः निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित मेडल ,प्रशस्ति पत्र एवं छात्रवृत्ति सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व इस सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं एम0डी0एस0 विश्वविद्यालय अजमेर के नियमों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियम तैयार किये जावें ।

तत्पशचात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव
एवं सचिव
प्रबंध मंडल

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University
KOTA

A PRROFILE OF RESEARCH DEGREE PROGRAMME

V M O U

REGISTRAR
Vardhaman Mahaveer Open University
KOTA

RESEARCH CELL

VARDHAMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY

RAWATBHATA ROAD, KOTA (RAJ.) – 324021

26

Ordinance on Research Degree Programmes
Award of M. Phil./Ph. D. Degree, Regulation, 2009

1. ADMINISTRATION

1.0 The Degree of Master of Philosophy (M. Phil) and the Degree of Doctor Philosophy (Ph. D.) or such other degree may be awarded by the Universi to a registered student on his/her successfully completing the prescrib programme of research offered by the University in different subjec disciplines existing in the faculties of Arts, Humanities, Social Scienc Sciences (including Life Sciences), Law, Commerce, Managemer Technical and Continuing Education and Education in other faculties cr ated from time to time under the statues of V. M. Open University, Kota.

Research studies leading to the award of the Degree of Master of Philosop (M. Phil) or Doctor of Philosophy (Ph. D.) degree or such other degree sh be organized and managed by the following bodies in accordance with th respective roles as specified hereunder.

1.1 **Academic Council :**

The Research Degree Programme of the University shall be offered accordance with the Research Policy adopted by the Academic Council su ject to the provision of the Act and the Statutes of V. M. Open Universit Kota.

1.2 **Research Board :-**

There shall be Research Board which subject to the overall guidance ar supervision of the Academic Council, shall be responsible for the plannir management, organization and monitoring of Research programme.

1.2.1 **Subject to the provision of the Act and Statues, the Researc Board shall perform the following functions :**

(i) Management and Administration of the research polic and programme of the University.

(ii) Formulation of guidelines for registration, supervisio programme design, evaluation and awards of researc

degree including appointment of supervisor and examiners, award of scholarships/fellowships and approval of research topics.

(iii) Monitoring of research indicators as deemed fit for such evaluation.

(iv) Determination of the criteria for review of the research areas/themes/topics relevant to the concerned subjects.

(v) Recommend a person to award the Ph. D. degree on the basis of outstanding published research work.

(vi) Advice on research priorities and allocation of resources for research.

(vii) Delegation of any of these functions assigned to the subject unit concerned.

(viii) Preparation of the consolidated reports on research efforts of the university.

(ix) Any other work related to research development and co-ordination.

1.2.2 **The composition of the Research Board shall be as follows :**

- Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Research Board.
- All the professors of the University. In case there in no Professor in the subject/discipline the Vice-Chancellor may nominate the subject Professor(s) of the subject/discipline concerned from other Universities.
- One of the representative of the Academic Council nominated by the Vice-Chancellor.
- Directors of the Schools.
- The Officer Incharge of the Research Board will be the Senior most Director (School) who will act Ex-Officio Member Secretary.

1.2.3 The term of office of the nominated members will be of two years from the date of nomination. A member can be re-nominated for another term.

1.2.4 The Research Board shall meet at least twice in a year and shall report to the Academic Council. One third of the total membership shall form the quorum for the meeting.

1.2.5 The Vice-Chancellor shall exercise the executive authority on behalf of the Research Board.

2. REGISTRATION

2.1 The process and schedule of registration shall be prepared and announced by the University in accordance with the guidelines given by the Research Board from time to time. Secretariate of the Research Board shall be responsible for overall co-ordination of the programme leading to the award of M. Phil./Ph. D. degree. The research degree programme will be offered by the University in the existing school of the subject concerned.

2.2 A candidate will be eligible for admission and registration for M. Phil./Ph. D. programme provided he/she has:

2.2(i) Qualified for the award of the Master's Degree of any University/Institute or any other qualification recognized as equivalent thereto in relevant fields of study will be eligible to register for the Ph. D. degree progamme provided he/she secured at least 55% marks (50% in case of SC/ST candidtaes or a grade equivalent thereto at an examination leading to such a degree).

2.2(ii) Qualified an enterance examination conducted by the University on the pattern of University Grants Commission for M. Phil. and Ph. D. separately. The candidates who have passed UGC/CSIR/JRF Examination, NET SLET, GATE, Teacher fellowship holder or M. Phil.will be given preferance in admission to Ph. D. programme and will be exampted from appearing in the Entrance Examination.

2.2(iii) The passed out students in M. Phil./Ph. D. Entrance test will be intereviwed by the University Research Board and at the time of interview Doctoral candidates are required to discuss their research topic in detail.

2.2(iv) The University will admit only the pre-determined number of students in M. Phil/ Ph. D. programme.

2.2(v) While granting admission to the students to M. Phil./Ph. D. programmes the School/ Department University will implement the State Reservation policy.

2.2(vi) COURSE WORK

After having been admitted to M. Phil./Ph. D. student shall be required to undertake course work on Research Methodology for six months.

(a) Qualitative methods, other methodology.

(b) Computer Application.

(c) Review to Published Research in the relevent field.

2.2.1 The registration process shall be initiated when the application for registration is accompanied by a research proposal/synopsis duly approved by the supervisor. The proposal shall among other things enlist the objectives of the proposed study, methodology to be pursued by the student and also the chapter scheme, review of literature and bibliography.

2.2.2 The enrolment to the Research Degree Programme shall be processed twice during the year i.e. during the month of January and July every year.

2.2.3 A candidate who has attained the age of 50 years but does not have formal academic qualification but shows abilitty and interest to pursue to research activity may also be considered for the research degree programme. The Research Board may decide the eligibility of such candidatis for registration provided the applicationis forwarded and recommended by two Professors of the subject concerned and a member of the Board of Management. of Vardhaman Mahaveer Open University. The Certificate should state that he/she has contributed and worked significantly in the eara of his/her research work either by his publisherd work or practical or social work. The committee constituted by the Vice-Chancellor shall review these certificate ans research area of the candidate on the basis of concrete evidence and in the commitee gives favorable opinion than his/her research proposal will be considered by the university.

2.3 All those who are offered fellowships by the university or any other agency and registered with the university to pursue a research degree programme of the

30

university on a full-time basis shall belong to the category of full-time students. In exceptional cases, the Research Board, on the recommendation of the subject/ discipline concerned, may allow registration of full-time students who do not have fellowship. The full-time students shall work on their projects either at the headquarter or at one of the Regional Centres of the University as approved by the Supervisor.

2.4 The registration for Ph. D. degree programme shall initially be made provisionally and the same shall be confirmed according to the procedures prescribed by the Research Board from time of time.

2.5 Interdisciplinary research will be encouraged by the University. The department of the subject concerned shall be responsible for deciding the thrust areas of research. Permission to supplicate for the research degree in a different faculty subject may be granted by the Research Board on the basis of interdisciplinary approach of the case duly justified by the candidate and supervisor(s).

2.6 The candidate will have to apply in the prescribed form for the research degree to the university for his/her registration. The date of registration will be counted from the university given in the date communicated by the candidate but not later than the issue of registration letter.

2.7 The minimum period required for submitting the doctoral thesis will be two and a half years from the date of registration in the research programme. However, if the topic of doctoral thesis is similar or related to the topic of the M. Phil. Dissertation, the candidate may be given relaxation upto six months by the Research Board provided the application for such relaxation is forwarded and recommended by the supervisor. The Vice-Chancellor may in exceptionally deserving cases waive off the prescribed duration of either category of research students by six months. The researcher may take upto five years to accomplish his/her doctoral research work. The thesis on submission would be sent to two external examiners and the supervisor for evaluation.

The student would also have to appear for a viva-voce examination compulsorily which will be jointly held by the supervisor and one of the examiners approved by the Vice-Chancellor. Members of the faculty of different schools/discipline of the university would be invited to be present at the time of the viva-voce examination.

2.8 Ph. D. candidates shall publish one Research paper in refreed Journal before submission of thesis and produce evidence for the same in the form of acceptance letter or reprint.

2.9 The research candidate will have to give two seminars with a gap of six months in the Department of which one shall be prior to submission of the thesis.

2.10 A candidate who has offered registration for the research programme shall deposit the prescribed registration fee initially and will deposit one year tuition fee in advance on receipt of registration letter and every year annual tuition fee shall be deposited in advance.

2.11 The registration of a student may be cancelled for any of the following reason :

(i) Non-payment of fees

(ii) Unsatisfactory progress

(iii) Non-compliance with the provision of the ordinance on research

(iv) Failure to submit the thesis within the time limit prescribed.

2.12 The Research Board may consider requests for re-registration from students whose registration is cancelled. An application for re-registration, if made within a period not exceeding one year from the cancellation of the registration. The application will be considered only on the recommendation of the supervisor(s).

2.13 The programme fees shall include registration fee, tuition fee, evaluation fee and any other fee prescribed by the university from time to time, and shall always be charged on annual basis. All students re-registered shall pay full fees on re-registration.

2.14 The thesis submitted to the university shall be evaluated by two experts out of which at least one shall be out of the state. On receipt of satisfactory reprots M. Phil./Ph. D. students shall undergo a viva-voce examination which shall be openly defended.

FEE SCHEDULE

1.	**Payable at the time of admission**	: (In Rs.)
	(i) Application form fee	: 500/-
	(ii) Registration fee	: 2000/-
	(iii)Library caution money (refundable)	: 1000/-
	(iv)Library fee	: 3000/-
	(v) Research/Tution fee (@Rs. 1000/- per month)	: 12000/-
	(vi)Laboratory fees for research (Only scholars using laboratory facilities including computer)	: 1500/-
2.	**Payable at the time of submitting the theses**	
	(i) Ph. D. thesis evaluation fee	: 3000/-
3.	**Contingent fee :**	
	(i) Arrangement of second Viva-voce examination	: 3000/-
	(ii) Resubmission of thesis	: 5000/-

Notes :-

(i) All types of fees are payable to the university at the headquarter, Kota.

(ii) Every registered candidate will be required to pay a research/tuition fee for carrying out his/her research in the university from time to time and notified accordingly. Teachers working in this university will not be requried to pay the tuition fee. However, other applicable fee like the registration fee, laboratory fee, examination fee etc. will have to be paid by them.

3. SUPERVISION

3.1 Every student registered for the research degree programme shall be required to pursue the programme under a supervisor recognized by the university. Supervisor/Joint Supervisor(s) for student shall be assigned in accordance with their choice from among the panel of supervisors recognized by the university.

3.2 The Joint Supervisor of the same or other subject of an inter-disciplinary nature is permissible provide the reason for joint supervision is justified and reasons are given for it.

3.3 The Principal Supervisor will be authorized to deal with the university regarding research activities of the candidate.

3.4 The candidate will be counted as one full candidate in the quota of the Principal Supervisor and not the Co-Supervisor.

3.5 All Professors and Associate Professor of Vardhaman Mahaveer Open University, Kota will be ipsofacto Research Supervisor provided they possess Doctorate degree of a recognized university.

3.5.1 The Research Board shall also have powers to approve any Assistant Professor/Lecturer working in Vardhaman Mahaveer Open University, Kota to become research supervisor of this university provided he has Ph.D. degree and five years P. G. or ten years U. G. teaching experience. An individual who wishes to be a research supervisor may formally apply for it, or may be invited by the Research Board.

3.5.2 The Professor of eminence in different fields may be recognized as Research Supervisor of the University.

3.5.3 In case of encouraging interdisciplinary research where-ever necessary (both in the subjects the university is running and also in the related subjects) co-guides (Joint Supervisor) may be chosen from external experts. The external experts may act as co-guide for Ph. D. work subject to decision of Hon'ble Vice-Chancellor on specific cases. The decision regarding co-guideship of an expert will be restricted to the case of particular Ph. D. work.

3.5.4 Directors, Regional Director and Dy. Directors working in the different units (other than Academic Wing) of Vardhaman Mahaveer Open University, Kota will also be treated as guide as per the norms already existing in the University and on recommendation by the Research Board. The Director's, Regional Director's, and Dy. Director's eligibility for guiding Ph. D. work will be considered only in the case of subject area of the person concerned.

3.5.5 The retired teachers of VMOU shall continue to be Research Supervisor of the University and will be eligible for fresh registrations.

3.6 Otherwise a retired person will normally not be allowed to act as Supervisor. However, person of eminence in the field can be considered as Supervisor by the Research Board provided substantial proof of his/her research work is submitted to the Research Board for examining the suitability. Such cases will be considered with reference of individual research candidates only.

3.7 Any person not holding a Ph. D. degree shall not be normally considered to be eligible to be supervisor except in the case of scholar(s) invited by the Research Board.

3.8 No person shall be permitted to supervisor and evaluate the research work of his/her close relations. The term close relation includes wife/husband/son/daughter/grand-son/grand-daughter/brother/sister/nephew/niece/grand-niece/uncle/aunt/first cousin/son-in-law/daughter-in-law.

3.9 Any recognized approved supervisor who fails to publish any research paper in a standard national/international journal in two consecutive calendar years will not be eligible to be supervisor of any new candidate.

3.10 For the purpose of recognized post-doctoral research experience the research should have been done under research programme sponsored by international/national/state level agencies such as the UGC, DEC, CSIR, ICSSR, etc. or as a member of teaching staff of VMOU.

3.11 The maximum number of students of Ph. D. and M. Phil. Programmes which a supervisor can guide at a time shall be as hereunder :

(a) University Professor : 8 candidates + 5 M.Phil. candidates

(b) Associate Professor : 8 candidates + 5 M. Phil. candidates

(c) Assistant Professor : 5 candidates + 5 M. Phil. candidates

3.12 A candidate ordinarily shall not be permitted to change the scheme of research during the course of the study. In exceptional cases on recommendation of the supervisor with due justification the Vice-Chancellor/Research Board may permit modification of the subject.

3.13 In case the supervisor retires or leave the university the candidate shall be permitted to work with him/her if he/she has completed six months of research work after registration. In the event of eventuality/death of the supervisor the candidate on his/her request would be allotted another supervisor by the Research Board and the period of his research work shall be counted for the purpose of the award of the Ph. D. degree.

4. SUBMISSION OF Ph. D. THESIS :

4.1 For Ph. D. degree, a student shall be required to submit a thesis in the format as may be prescribed by the discipline and Research Board after getting "NO DUES CERTIFICATE" from the concerned units of the university.

4.2 No thesis shall normally exceed eighty thousand words (excluding footnotes and bibliography). It may be a piece of research work duly characterized either by the discovery of new facts or by a fresh interpretation of facts or theories. In either case it should reflect the candidate capacity for critical examination and judgement. It should also be satisfactory as far as its literary presentation is concerned. However, in case a thesis exceeds this limit the candidate shall be required to obtain special permission of the Research Board. The candidate shall indicate summarily in approximately 2000 words how far the thesis embodies the results for his/her investigations. This summary shall be submitted in four copies alongwith the thesis and this shall also be sent to the examiners alongwith the Ph. D. thesis. The candidate shall submit his/her thesis in four copies.

4.3 COLOUR SCHEME FOR THESIS COVER IN DIFFERENT FACULTIES :

S.No.	Faculty/School/Discipline	Colour
1.	Social Sciences/Humanities/Indian Tradition/Culture	Red
2.	Commerce-Management/Hotel Management	Yellow
3.	Education, Journalism, Law, Library & Information Science	Crimson
4.	Science/Technology/Life Sciences	Light Blue

5. EVALUATION AND AWARDS

5.1 After the receipt of the thesis, along with necessary certificates and the requisite fee by the office of the Director (Research) the supervisor shall submit a panel of

36

8 experts who are entitled to be research supervisors of the University, preferably Professors, for appointment as examiners and certify that they have been active in the related field. The Vice-Chancellor shall ordinarily appoint two external examiners for Ph. D., thesis from the panel to whom the thesis shall be sent for evaluation. In special case the Vice-Chancellor may request the supervisor to cite some publications by the suggested examiners in the area of the research. The panel of examiners may be re-submitted on the directives of Vice-Chancellor. The supervisor will also be an examiner of the thesis.

5.2 The following provisions will be applicable for evaluation of Ph. D. thesis.

5.2.1 In case all the three examiners do not unanimously recommend the award of the degree, copies of their reports will be sent to the supervisor for his/her comment(s) and the case will be considered by the Vice-Chancellor after receipt of comments.

5.2.2 In case two or all examiners disapprove the thesis it shall be rejected.

5.2.3 In one of the examiners approve the thesis and other recommends a revision and the third rejects it, the candidate shall be called upon to submit the thesis after revision in the light of the observations of the examiners.

5.2.4 In case all the three original examiners including the supervisor also approve the thesis, the candidate shall be called upon to appear for a viva-voce examination which will be open to all interested persons and shall be conducted by the Board of Examiners consisting Supervisor and one of the original external examiners of the thesis selected by the Vice-Chancellor. If both the viva-voce examiners (Supervisor and external) are satisfied the case shall be forwarded by Director (Research) to the Vice-Chancellor for his approval and provisional certificate of Ph. D. Degree to the candidate.

5.2.5 In case the recommendations of the Viva-Voce examiners differ from that of the thesis examiners or there is a difference of opinion between the Viva-Voce examiners, the candidate may be asked to reappear at a second Viva-Voce examination within six months. If the candidate fails to satisfy, the thesis will be finally rejected.

5.2.6 If the examiners recommend that the candidate be asked to revise/improve his/her, thesis the Vice-Chancellor may permit the candidate to resubmit his/her thesis on the recommendation of the supervisor.

5.2.7 In case a candidate is allowed to resubmit his/her thesis he/she will have to pay a fresh submission fee at the time of re-submitting his/her thesis.

5.2.8 The Vice-Chancellor shall refer the approved thesis for collective statement before taking a final decision about its publication.

5.2.9 The candidate shall not publish the thesis without seeking a formal permission to this effect from the university.

5.3 The experts(s) will be paid TA/DA as per the University rules. For the remuneration for evaluation of synopsis, thesis and conduct of viva-voce the following rates will be applicable to be paid to the individual examiner :

Synopsis evaluation (Only to external Experts)	:	Rs. 300/-
M. Phil Ph. D. Thesis revaluation	:	Rs. 800/-
Ph. D. Viva-Voce Examination	:	Rs. 500/-

Besides above remuneration the actual postal charges will be reimbursed. Necessary deductions will be made as per rules of the university.

Award of M. Phil. Degree, Regulation, 2009

M. Phil. Programme :

1. General :

1.1 The Degree of Master of Philosophy (abbreviated as M. Phil.) aims at advancing higher study and research in the University in the Subjects as approved by the Academic Council in various faculties. This is a separate Programme offered on campus in face-to-face teaching mode and not a pre-requisite for Ph. D. Degree.

1.2 The Minimum Qualification for admission to M. Phil. Programme shall be second division with not less than 55 percent of marks (50% in case of SC/ST candidates) in Masters Degree in the relevant subject.

1.3 Admission to M. Phil. Programme shall only be through enterance test organised by the University in the subject concerned. The successful candidates will be admitted in M. Phil. only at Kota and Jaipur Regional Centre.

1.4 The prescribed fee will be paid by the student at the time of submission of the application for admission. The fee shall not be refundable. The University reserves the right to revise fee schedule any time.

1.5 The candidates admitted for the degree of M.Phil. shall do research work under the guidance of approved supervisor by the university who shall be a teacher in Universities/Colleges with not less than 5 years of P. G. teaching experience/10 years of U. G. teaching experience and experience of supervising M. Phil./Ph.D. in their respective discipline in any university. The supervisor shall be appointed by the concerned Convenor of the subject for a term of three years.

1.6 The candidate admitted will be required to pursue courses as per the scheme of M.Phil. at Kota & Jaipur centres only. The regular class room teaching willbe organised with the help of university teaching faculty and the invited Guest Faculty. The honorarium will be paid to them on per period basis. TA/DA will be admissible to outside experts.

1.7 The duration of M. Phil. Degree Programme shall be one year.

1.8 There shall not be more than 5 (M. Phil.) student under a supervisor for M.Phil. dissertation.

1.9 There shall be limited 30 seats each at Kota and Jaipur Regional Centres for fresh M. Phil. students every year. The defaulters will not be counted in the admission for the new session,

reservation on the seats as per the Government of Rajasthan rules for admission shall be applicable.

1.10 The Supervisor once appointed shall not be changed unless circumstances so warrent. Such changes shall be made by the Vice-Chancellor on the recommendation of the concerned Convener/Supervisor of the subject.

1.11 The Dissertation shall carry 200 marks. It shall be evaluated by two external examiners appointed by the Vice-Chancellor and the average of the marks will be counted.

1.12 The candidate shall submit to the University four (computer word processed) Hard Copies alongwith C.D. of his/her Dissertation in the prescribed formate together with summary (two copies). The summary will consist of objective, methodology and findings in brief.

1.13 Candidates will have the option to answer the question papers and write their dissertations either in English or Hindi.

2. Internal Assignments :

2.1 The weightage of Internal Assignment will be 20 percent. Two assignments will be given in each paper. The internal assignment shall be submitted to the concerned convener of the subject, who will get them evaluate and send marks to the examination section.

2.2 Once completion of the minimum duration i.e. 1 year a candidate will be examined by means of written examination one, three courses each of 100 marks and 200 marks for dissertation (external - 80 and internal - 20). The minimum pass marks shall be 40% in each course (paper). However overall 50% marks will be required in aggregate. The examiners for these courses (paper) will be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the subject committee.

2.3 The marks obtained in internal assessment and external examination shall be shown separately in the marks sheet. Successful candidate shall be classified as under :

I - Division with Distinction	-	75% & above
II - Division	-	65% less than 75%
III - Division	-	Less than 65%

2.4 The candidates for M. Phil. Degree shall pay the required fees. The fee charged by the University will be for one year. If a candidate continue to work beyond one year he/she will

be required to pay examination fee for the due courses (papers) only, till the expiry of maximum duration prescribed for M. Phil.

2.5 The remuneration for evaluation of the dissertation will be payable to the examiners as per the university rules.

2.6 The detail syllabi and scheme of examiners as recommended by the respective course development committee (CDC) of a subject and approved by the Academic Council shall be applicable.

Any provision that is not covered under the provision of the above Ordinance shall be referred to the Vice-Chancellor and his decision shall be final.

****

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्याल,कोटा।

प्रबंध मंडल की 76 वीं बैठक
कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की 76 वीं बैठक दिनांक 20 मार्च 2010 को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित हुई जिसमें,निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. प्रो0 अतुल शर्मा — सदस्य
   80, डी0डी0ए0,फ्लैट्स
   द्वारिका नई दिल्ली।

3. श्री तपेश पंवार — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार,जयपुर।

4. प्रो0 डी0के0चौधरी — सदस्य
   समकुलपति
   इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0
   नई दिल्ली।

5. प्रो0 एम0 के0 घडोलिया — सदस्य
   आचार्य(अर्थशास्त्र)
   एवं
   कुलसचिव(कार्यवाहक) — सचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
   कोटा।

6. डा0 आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक (क्षेत्रीय केन्द्र)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।

बैठक प्रारंभ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदयक द्वारा बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का स्वागत कर आभार प्रकट करते हुए सदस्य गणों को प्रबंध मंडल की बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से अवगत करवाया गया,आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक की सूचना में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बिंदुवार चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय किये गयेः–

76/01 वित्त समिति की 42 वीं बैठक दिनांक 20 मार्च 2010 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन बाद अनुमोदन।

दिनांक 20 मार्च 2010 को प्रातः 11.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर पर आयोजित वित्त समिति की 42 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पर चर्चा उपरांत कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

76/02 विश्वविद्यालय की वर्ष 2007–08 की अवधि की सी0ए0 द्वारा तैयार आडिट रिपोर्ट एवं बैलेंस शीट का अवलोकन एवं अनुमोदन।

वर्ष 2007–08 की बैलेंस शीट्स एवं आडिट रिपोर्ट तथा आडिट रिपोर्ट के अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर वित्त समिति की अनुशंसा के कम में अनुमोदित किया गया।

76/03 विश्वविद्यालय के वर्ष 2010–11 के बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श बाद अनुमोदन।

सदन के पटल पर वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 2823.00 लाख रूपये के बजट प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए सदस्य गणों का मत था कि वेतन भत्तों के पेटे राज्य सरकार से अनुदान स्वीकृति आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा स्वंय के स्रोतों से अर्जित आय को का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास कार्यो में हो सके, इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वर्ष 2009–10 में भी राज्य सरकार द्वारा आयोजना भिन्न मद में 350 लाख के विरूद्ध 87.50 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की है,इस कारण विश्वविद्यालय को वेतन भत्तों के पेटे 840 लाख रूपये स्वंय के स्रोत से वहन करने पड़े है।

प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष 2010–11 के बजट एवं वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट अनुमानों को वित्त समिति की अनुशंसाओं सहित अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया राज्य सरकार से अनुदान स्वीकृत करवाने के प्रयास किये जावें।

उपरोक्त निर्णयों उपरांत आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एवं सचिव
प्रबंध मंडल

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक दिनांक 25.04.10 को प्रातः 10.30 क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति,
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

   श्री तपेश पवार — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार,जयपुर।

2. प्रो0 डी0के0 चौधरी — सदस्य
   समकुलपति
   इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0,नई दिल्ली।

3. प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल — सदस्या
   डिपार्टमेंट आफ इंगलिश
   दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।

4. प्रो0 एम0के0धडोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

5. डा0आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक,(क्षे0के0)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।

6. कुलसचिव — सचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए आवश्यक गणापूर्ति के बाद प्रबंध मंडल को अवगत करवाया कि वर्तमान वित्तिय वर्ष में भी राज्य सरकार द्वारा आयोजना भिन्न मद में 350.00 लाख रूपये का प्रावधान करने की सूचना दी है,तथा अनुदान बढाने के सम्बन्ध में कुछ जानकारिया चाही गई है,जो कि प्रेषित की जा रही है। माननीय कुलपति महोदय के उक्त संबोधन उपरांत कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

77/01 प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76 वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

77/02 प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों के कम में की गई कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76वीं बैठकों के निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही पर संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमादन किया गया।

77/03 आयोजना मंडल की 11वीं बैठक दिनांक 24.04.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
आयोजना मंडल की 11 वीं बैठक दिनांक 24.04.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

77/04 श्री जफर उल्लाह खान,कंप्यूटर प्रोग्रामर के वेतन निर्धारण पर दिनांक 16.12.94 से 30.3.2001 तक का वेतन एरियर भुगतान की अनुशंसा ।

पूर्ण जानकारी के अभाव में प्रकरण पर निर्णय नहीं हो पाया,पूर्ण जानकारी के साथ पुनः प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

77/05 अन्य बिंदु आसन की अनुमति से:-

77/05.1 विश्वविद्यालय के निदेशक (क्षे0के0) को छठे वेतन आयोग का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति कमांक एफ-1(1)शि-4/2008 पार्ट दिनांक 22.04.10 को अवलोकन कर, राज्य सरकार की स्वीकृति के कम विश्वविद्यालय में कार्यरत निदेशक क्षे0केन्द्रों के वेतनमान संशोधित करने का निर्णय किया गया।

77/05.2 शिक्षकों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों के विषयों का पुनर्आवंटन करने के सम्बन्ध में गठित प्रो० एम० के० घडोलिया समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

समिति की अनुशंसाओं को विद्या परिषद के पारित करवाने के बाद प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

Mghadoliya

कुलसचिव एवं
सचिव
प्रबंध मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

समय अपरान्ह बाद 2.00 बजे

स्थान

क्षेत्रीय केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

वाणिज्य महाविद्यालय परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर 2010 को अपरान्ह बाद 2.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति,
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

2. श्री तपेश पवार — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार,जयपुर।

3. श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
   प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव
   वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ,जयपुर।

4. प्रो0 अतुल शर्मा — सदस्य
   इंस्टीट्युट आफ हयुमन डवलपमेंट
   एन.आई.डी.एम.बिल्डिंग
   आई.पी0. इस्टेट,नई दिल्ली–110002

5. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

6. डा0आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक,(क्षे0के0)
   वर्धमान माहवीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।

7. श्रीमती आराधना सक्सैना — सचिव
   कुलसचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

8. श्री आर.जी.मीणा — विशेष आमंत्रित
   वित्त अधिकारी
   वर्धमान महावीर खुला वि.वि.कोटा।

बैठक के प्रारंभ करने से पूर्व राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति स्वर्गीया प्रभा राव ठाकुर के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की कुलसचिव श्रीमती आराधना सक्सैना का माननीय सदस्यगणों से परिचय करवाते हुए आवश्यक गणापूर्ति के बाद प्रबंध मंडल की बैठक प्रारंभ करवाने हेतु कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये गये। कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा के बाद निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

78/01 प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक दिनांक 25.04.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक दिनांक 25 अप्रेल 2010 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

78/02 प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के क्रम में की गई कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर की गई कार्यवाही का अवलोकन कर संतोष प्रकट करते हुए निर्णयों के क्रम मेंकी गई कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।

78/03 विद्या परिषद की 40 वीं बैठक दिनांक 01 मई 2010 का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

78/04 वित्त समिति की 43 वीं बैठक दिनांक 29.10.10. प्रातः 11.00 का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सदन की बैठक के दौरान प्रस्तुत कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय कार्मिकों को देय चिकित्सा पुर्नभरण नियमों सम्बन्धी निर्णय संख्या 43/05 के सम्बन्ध में प्रो0 अतुल शर्मा का मत था कि "विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु मेडीक्लेम पोलिसी अपनाने के सम्बन्ध में कमेटी गठित कर रिपोर्ट वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ताकि चिकित्सा पुर्नभरण मद में विश्वविद्यालय पर अधिक भार ना पड़े " प्रबंध मंडल द्वारा प्रो0 शर्मा के विचार को वित्त समिति के निर्णय संख्या 43/05 का भाग मानते हुए वित्त समिति द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय सहित वित्त समिति के संपूर्ण कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया।

78/05 भवन उप समिति की 18 वीं बैठक दिनांक 03 जून 2010 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

78/05 भवन उप समिति की 18 वीं बैठक दिनांक 03 जून 2010 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

भवन उप समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

78/06 कनिष्ठ अभियंता के पद को राज्य सरकार द्वारा अपग्रेड किये जाने के निर्णय के कम में वि0 वि0 में कार्यरत कनि0 अभियंता को सहायक अभियंता के पद पर पदौन्नत किये जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में निर्णय।

माननीय सदस्यगणों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विचार व्यक्त किये कि राज्य सरकार में सहायक अभियंता का पद अधिकारी श्रेणी में आता है, जबकि विश्वविद्यालय में सहायक अभियंता का पद अधिकारी की श्रेणी में नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं सुझाव के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

78/07 श्री आर0 सी0 बिरला एवं श्री सुधीर खैर द्वारा दिये गये प्रोविडेन्ट फंड के विकल्प को परिवर्तन कर पेंशन सुविधा दिये जाने की मांग विचारार्थ ।

राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग(ग्रुप–4) विभाग के पत्र कमांक एफ.03(36) शि–4 /89 दिनांक 16 अप्रेल 1991 के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त विश्वविद्यालय पेंशन विनियम की धारा 04 के परन्तुक–1 "The existing employees who do not exercise option within the period specified under this regulations shall be deemed to have opted for the pension scheme. Option once exercised shall be final and irrevocable" के अनुसार विकल्प पत्र परिवर्तन की अनुमति का प्रवधान नहीं होने के कारण प्रबंध मंडल ने कार्मिकों द्वारा सेवाकाल में रहते हुए भरे गये विकल्प पत्र को सेवानिवृत्ति के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं दिये जाने का निर्णय किया गया।

78/08 सी0एम0सी0 प्रकरण में डा0 एल0 के0 दाधीच समिति की रिपोर्ट।

दाधीच समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद निर्णय किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित आडिट पैरा को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विस्तृत जांच की जाए।

78/09 वित्त समिति में श्री संजय कूलवाल के मनोनयन की सूचना।

प्रबंध मंडल की ओर से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री संजय कूलवाल को वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किये जाने बाबत् जारी आदेश की पुष्टि की गई।

78/10 ए0सी0डी0 में दर्ज प्रकरण संख्या 110/05 विरूद्व डा0 आर0 के0 जैन में प्रारंभिक जांच हेतु स्व0 प्रो0 अनाम जेटली के स्थान पर प्रो0 पी0 के0 शर्मा को नियुक्त किये जाने का निर्णय सूचनार्थ।

प्रो0 अनाम जेटली के स्थान पर प्रो0 पी0के0 शर्मा को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय की पुष्टि की गई ।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव एवं
सचिव
प्रबधं मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा।

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक दिनांक 25.04.10 को प्रातः 10.30 क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति,
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

   श्री तपेश पवार — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार,जयपुर।

2. प्रो0 डी0के0 चौधरी — सदस्य
   समकुलपति
   इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0,नई दिल्ली।

3. प्रो0 श्रीमती मालाश्री लाल — सदस्या
   डिपार्टमेंट आफ इंगलिश
   दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली।

4. प्रो0 एम0के0धड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र)
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

5. डा0आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक,(क्षे0के0)
   वर्धमान माहवीर खुला विश्वविद्यालय,जोधपुर।

6. कुलसचिव — सचिव
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए आवश्यक गणापूर्ति के बाद प्रबंध मंडल को अवगत करवाया कि वर्तमान वित्तिय वर्ष में भी राज्य सरकार द्वारा आयोजना भिन्न मद में 350.00 लाख रूपये का प्रावधान करने की सूचना दी है,तथा अनुदान बढाने के सम्बन्ध में कुछ जानकारिया चाही गई है,जो कि प्रेषित की जा रही है। माननीय कुलपति महोदय के उक्त संबोधन उपरांत कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्णय किये गये:-

77/01 प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76 वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

77/02 प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76वीं बैठकों के कार्यवाही विवरणों के कम में की गई कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 75 वीं एवं 76वीं बैठकों के निर्णयों के कम में की गई कार्यवाही पर संतोष प्रकट करते हुए अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमादन किया गया।

77/03 आयोजना मंडल की 11वीं बैठक दिनांक 24.04.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
आयोजना मंडल की 11 वीं बैठक दिनांक 24.04.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

77/04 श्री जफर उल्लाह खान,कंप्यूटर प्रोग्रामर के वेतन निर्धारण पर दिनांक 16.12.94 से 30.3.2001 तक का वेतन एरियर भुगतान की अनुशंसा ।

पूर्ण जानकारी के अभाव में प्रकरण पर निर्णय नहीं हो पाया,पूर्ण जानकारी के साथ पुनः प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

77/05 अन्य बिंदु आसन की अनुमति से:-

77/05.1 विश्वविद्यालय के निदेशक (क्षे0के0) को छठे वेतन आयोग का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति कमांक एफ-1(1)शि-4/2008 पार्ट दिनांक 22.04.10 को अवलोकन कर, राज्य सरकार की स्वीकृति के कम विश्वविद्यालय मे कार्यरत निदेशक क्षे0केन्द्रों के वेतनमान संशोधित करने का निर्णय किया गया।

17/05.2 शिक्षकों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों के विषयों का पुनर्आवंटन करने के सम्बन्ध में गठित प्रो0 एम0 के0 घड़ोलिया समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

समिति की अनुशंसाओं को विद्या परिषद के पारित करवाने के बाद प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

Mghadoliya

कुलसचिव एव
सचिव
प्रबंध मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक

दिनांक 29 अक्टूबर 2010

समय अपरान्ह बाद 2.00 बजे

स्थान

क्षेत्रीय केन्द्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

वाणिज्य महाविद्यालय परिसर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

क्विविद्यालय के प्रबंध मंडल की 78 वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर 2010 को अपरान्ह बाद 2.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर पर आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:–

1. प्रो0 नरेश दाधीच — अध्यक्ष
   कुलपति,
   वर्धमान महावीर खुला क्विविद्यालय,कोटा।

2. श्री तपेश पवार — सदस्य
   प्रमुख शासन सचिव
   उच्च शिक्षा विभाग
   राजस्थान सरकार,जयपुर।

3. श्रीमती मीता शर्मा — सदस्य
   प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव
   वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ,जयपुर।

4. प्रो0 अतुल शर्मा — सदस्य
   इंस्टीट्युट आफ हयुमन डवलपमेंट
   एन.आई.डी.एम.बिल्डिंग
   आई.पी0. इस्टेट,नई दिल्ली–110002

5. प्रो0 एम0के0घड़ोलिया — सदस्य
   आचार्य (अर्थशास्त्र)
   वर्धमान महावीर खुला क्विविद्यालय,कोटा।

6. डा0आर0 सी0 शर्मा — सदस्य
   निदेशक,(क्षे0के0)
   वर्धमान माहवीर खुला क्विविद्यालय,जोधपुर।

7. श्रीमती आराधना सक्सैना — सचिव
   कुलसचिव
   वर्धमान महावीर खुला क्विविद्यालय,कोटा।

8. श्री आर.जी.मीणा — विशेष आमंत्रित
   वित्त अधिकारी
   वर्धमान महावीर खुला वि.वि.कोटा।

बैठक के प्रारंभ करने से पूर्व राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महोदया एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति स्वर्गीया प्रभा राव ठाकुर के असामयिक निधन पर शोक प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किये जाने के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की कुलसचिव श्रीमती आराधना सक्सैना का माननीय सदस्यगणों से परिचय करवाते हुए आवश्यक गणापूर्ति के बाद प्रबंध मंडल की बैठक प्रारंभ करवाने हेतु कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये गये। कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा के बाद निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

78/01 प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक दिनांक 25.04.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक दिनांक 25 अप्रेल 2010 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

78/02 प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के क्रम में की गई कार्यवाही का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 77 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर की गई कार्यवाही का अवलोकन कर संतोष प्रकट करते हुए निर्णयों के क्रम मेंकी गई कार्यवाही को अनुमोदित किया गया।

78/03 विद्या परिषद की 40 वीं बैठक दिनांक 01 मई 2010 का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

78/04 वित्त समिति की 43 वीं बैठक दिनांक 29.10.10. प्रातः 11.00 का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सदन की बैठक के दौरान प्रस्तुत कार्यवाही विवरण पर चर्चा के दौरान विश्वविद्यालय कार्मिकों को देय चिकित्सा पुर्नभरण नियमों सम्बन्धी निर्णय संख्या 43/05 के सम्बन्ध में प्रो0 अतुल शर्मा का मत था कि "विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु मेडीक्लेम पोलिसी अपनाने के सम्बन्ध में कमेटी गठित कर रिपोर्ट वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ताकि चिकित्सा पुर्नभरण मद में विश्वविद्यालय पर अधिक भार ना पड़े " प्रबंध मंडल द्वारा प्रो0 शर्मा के विचार को वित्त समिति के निर्णय संख्या 43/05 का भाग मानते हुए वित्त समिति द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय सहित वित्त समिति के संपूर्ण कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया।

78/05 भवन उप समिति की 18 वीं बैठक दिनांक 03 जून 2010 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

78/05 भवन उप समिति की 18 वीं बैठक दिनांक 03 जून 2010 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

भवन उप समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

78/06 कनिष्ठ अभियंता के पद को राज्य सरकार द्वारा अपग्रेड किये जाने के निर्णय के क्रम में वि0 वि0 में कार्यरत कनि0 अभियंता को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किये जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में निर्णय।

माननीय सदस्यगणों द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विचार व्यक्त किये कि राज्य सरकार में सहायक अभियंता का पद अधिकारी श्रेणी में आता है, जबकि विश्वविद्यालय में सहायक अभियंता का पद अधिकारी की श्रेणी में नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं सुझाव के साथ प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

78/07 श्री आर0 सी0 बिरला एवं श्री सुधीर खैर द्वारा दिये गये प्रोविडेन्ट फंड के विकल्प को परिवर्तन कर पेंशन सुविधा दिये जाने की मांग विचारार्थ ।

राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग(ग्रुप–4) विभाग के पत्र कमांक एफ.03(36) शि–4 /89 दिनांक 16 अप्रेल 1991 के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त विश्वविद्यालय पेंशन विनियम की धारा 04 के परन्तुक–1 "The existing employees who do not exercise option within the period specified under this regulations shall be deemed to have opted for the pension scheme. Option once exercised shall be final and irrevocable" के अनुसार विकल्प पत्र परिवर्तन की अनुमति का प्रवधान नहीं होने के कारण प्रबंध मंडल ने कार्मिकों द्वारा सेवाकाल में रहते हुए भरे गये विकल्प पत्र को सेवानिवृत्ति के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं दिये जाने का निर्णय किया गया।

78/08 सी0एम0सी0 प्रकरण में डा0 एल0 के0 दाधीच समिति की रिपोर्ट।

दाधीच समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद निर्णय किया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित आडिट पैरा को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विस्तृत जांच की जाए।

78/09 वित्त समिति में श्री संजय कूलवाल के मनोनयन की सूचना।

प्रबंध मंडल की ओर से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) का उपयोग करते हुए माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री संजय कूलवाल को वित्त समिति का सदस्य मनोनीत किये जाने बाबत् जारी आदेश की पुष्टि की गई।

78/10 ए0सी0डी0 में दर्ज प्रकरण संख्या 110/05 विरूद्व डा0 आर0 के0 जैन में प्रारंभिक जांच हेतु स्व0 प्रो0 अनाम जेटली के स्थान पर प्रो0 पी0 के0 शर्मा को नियुक्त किये जाने का निर्णय सूचनार्थ।

प्रो0 अनाम जेटली के स्थान पर प्रो0 पी0के0 शर्मा को प्रारंभिक जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्णय की पुष्टि की गई ।

तत्पश्चात् आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव एवं
सचिव
प्रबधं मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा।